AGRICULTURAL WORKERS (PAYMENT OF PENSION, FIXATION OF MINIMUM WAGES, COMPULSORY INSURANCE AND OTHER AMENITIES) BILL*

SHRI B. V. DESAI (Raichur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for pension, provident fund, minimum wages and other amenities for agricultural workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for pension, provident fund, minimum wages and other amenities for agricultural workers."

The motion was adopted.

SHRI B. V. DESAI: Sir, I introduce the Bill.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL*

(Insertion of new Section 10B etc.)

SHRI B. V. DESAI (Raichur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the people Act, 1951.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

SHRI B. V. DESAI: Sir, I introduce the Bill.

15.39 hrs.

DEVDASI AND MURLI PRACTICE (ABOLITION) BILL-*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Further consideration of the following motion moved by Shrimati Usha Prakash Choudhari on 5 November 1982 namely:—

"That the Bill to abolish the practice of Devadasi and Murli in India be taken into consideration."

Shrimati Usha Prakash Choudhari.

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व सेशन में मैंने यह प्रस्ताव रखा था और यह बिल मूव किया था कि भारत में देवदासी प्रथा और मुरली प्रथा को समाप्त करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाए। अब मैं इस सदन में इस विषय पर प्रतिपादन करना चाहती हूं। मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस विषय पर गम्भीरता से और मानवता की दृष्टि से विभिन्न दलों, धर्म और जाति तथा विचारों को छोड़ कर सभी सदस्यगण सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

मुझे दुख है कि आजादी के बाद भी सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग अगर कोई रहा है तो महिलायें रहीं हैं। उन्हीं में से एक वर्ग है देवदासी का, जिसको भगवान के नाम पर अर्पित किया जाता है और उसकी मर्यादा सिर्फ भगवान तक ही नहीं रहती, उसके बाद उस गांव का बड़ा आदमी उसकी बोली लगाता है जैसे बाजार में जानवर की बोली लगती है, और उसे खरीदा जाता है और उसके बाद जब तक उसके मन में रहा तब तक उसको रखता है और बाद में जब

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated 25-2-1983.

उसको छोड़ देता है तो उस औरत के सामने प्रौस्टीट्यूट के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है । मैं बताना चाहती हूं कि आजादी के बाद भी इस देश में देवदासी बनाई गई महिलाओं की संख्या डेढ लाख है ।

जब मैंने यह बिल डाला तो बाहर जो राजनीति में और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह मुझसे पूछते थे कि देवदासी प्रथा क्या है ? प्रान्तों में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कानून होने के बाद और केन्द्र में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संरक्षण के लिये कानून होने के बाद भी डेढ़ लाख तक महिलाएं देवदासी बनाई गयीं । वर्षों पहले यह प्रथा केवल भारत में ही नहीं थी, बल्कि यूनान, बेबीलोन में भी थी और हमारे देश में खास कर के दक्षिण में धर्म का बड़ा प्रभाव था, बड़े-बड़े मन्दिरों, राजसत्ता और धर्म-सत्ता का प्रभाव रहा । वह सिर्फ राजसत्ता से ही जुड़ा हुआ नहीं है । एक ही समय में इस देश के समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्ग का राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों ने उनका शोषण किया, इसी का एक उदाहरण यह देवदासी प्रथा है । उस जमाने में धर्म गुरू, पुजारी या जमींदारों ने महिला को उप-भोग की वस्तु बनाकर उनका दुरुपयोग किया । कहा जाता है शुरू में जब यह प्रथा चली, महाभारत काल से लेकर बाद में भी तो इन्सान के दिल में सेवा की भावना हुई, अर्पित करने की अपने भगवान के लिये और समाज के लिये । उसी से इस प्रथा का उद्गम हुआ । इसके लिये महिलाओं को और साथ-साथ लड़के और लड़कियों, दोनों को अर्पित किया जाता था । लेकिन महिलाओं की संख्या अधिक है, इसीलिये हमारे मन में आता है कि क्या यह समर्पण धर्म के नाम पर केवल महिलाओं के लिये ही था ? मैं इसको नहीं जानती हूं । इतिहास चाहे कुछ भी बताये, लेकिन आज जो सच्चाई हम देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और जो धर्म, संस्कार, परम्परा मानवता के उद्धार के लिये नहीं बल्कि मानव को खड्डे में डालने के लिये है उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं । इस परम्परा को हमें स्वतंत्रता के माहौल में खत्म करना चाहिये जिससे किसी वर्ग की महिलाओं की आबरू की विडम्बना हो रही है ।

इस प्रथा की शुरूआत अन्ध श्रद्धा से हुई । एक तो मनौती मानते थे, किसी के अगर बच्चा नहीं हुआ, देहात में, अनपढ़ लोग मानते थे कि अगर बच्चा हुआ तो एक बच्चे को भगवान को अर्पित करेंगे कोई धन के लिये, कोई नब्ज के लिये इन्सान की बलि भगवान को देते थे । उसी का यह दूसरा स्वरूप है, महिलाओं को नर्क में ढकेल दिया जाता था ।

अन्ध-विश्वास की दुनिया है, जिसके कारण यह देवदासी प्रथा चली आ रही है । आज हम देखते हैं कि गरीब लड़कियों को बालों में लगाने के लिये तेल नहीं है, किसी की मां मर गई है, यह दिन भर भीख मांगती रहती है और मजदूरी करती रहती है, उनको बाल सवांरने का कहां ध्यान आता है । उनके बालों की जब जटा बन जाती है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बार्डर पर एक भावना है कि इसके बालों में जटा बन गई है, अब बेलम्मा की मर्जी हो गई है, उसको अर्पण कर देना चाहिये । उसको मंदिर में छोड़ दिया जाता है । इस संबंध में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं । कामतीपुरा

[श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी]

की एक देवदासी ने मुलाकात में कहा कि हमारा सुन्दर परिवार था, हम पति-पत्नी और बच्चे प्यार से रहते थे। एक दिन पति को नजर में मेरे बालों में जुड़ी हुई जटा नजर आ गई। वह अनपढ़ था घबड़ा गया। बोला बेलम्मा की मर्जी हो गई है, शायद अपनी प्यारी पत्नी अब हमसे बिछड़ जायेगी। दूसरे दिन वह पुजारी के पास चुपचाप गया और बोला कि मेरी पत्नी के बालों में जटा बन गई है, गुमटा बन गया है। दोपहर को पुजारी आकर उसको देवदासी बनाकर ले गये। यह सच्ची घटना है, जिसे मैं आपके सामने रख रही हूं। देवदासी बनाने के बाद उसको कला-नृत्य, कला—शिक्षक के जरिये सिखाया गया। वह कला-नृत्य और संगीत का ज्ञान देते थे। मंदिर में नाचना, गाना और भगवान की पूजा करना उनका फर्ज था। उसके बाद देवदासी बनाकर उसको बोली लगाकर कोई उसको अपनी कीप करके रखता था उसका पालना करता था, पूरी आयु भर उस जमाने में उसकी थोड़ी सी इज्जत होती थी। इस साप्ताहिक हिन्दुस्तान में उसकी तस्वीर नहीं छपवाई है। हमारे मन में देवदासी की तस्वीर ऐसी है कि गहने पहने हुए है, सुन्दर पोशाक है, भगवान के सामने नाच कर रही है, भगवान को पालकी के सासने उसकी इज्जत है लेकिन आज देवदासी की कोई इज्जत नहीं है। आप हमारे साथ येलम्मा के मन्दिर में चलिये, मैं एक दो महीने पहले जाकर देखकर आई हूं, फिर मैंने इस बिल को यहां रखा है। हमने वहां देखा है कि महिलाएं भिखारी की तरह फटे कपड़े में, पैरों में घूंघरू बांधकर भीक्षा मांग रही हैं और वह बहुत पीड़ित हैं। ऐसी देवदासियों को धर्म के नाम पर भिखारी बनाने का काम कुछ विद्रोही लोगों ने किया है। इसे आज हमें रोकना है।

वर्षों पहले तंजावर मन्दिर में 400 देवदासियां थीं, सोमनाथ पुरम में 500 थीं और येलम्मा का इतिहास तो ऐसा है कि वहां देवदासियों का बाजार है। महिलाओं की बिक्री का बहुत बड़ा बाजार है। अपने देश में हम लोग इस को बन्द करना चाहते हैं या नहीं, मैं आज आपसे यह सवाल पूछ रही हूं। हर साल आज भी कर्नाटक के येलम्मा मन्दिर में मेले के अवसर पर 5,000 देवदासियां बनाई जाती हैं। अपने देश में उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, आन्ध्र और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में देव-दासियों की बड़ी प्रथा है और सब जगह अलग-अलग नाम से हैं। महाराष्ट्र में खंडवा को अर्पण करते हैं, उसको मुरली कहते हैं। गोवा में भाविनी बोलते हैं, कर्नाटक में येलम्मा को ज्योतिन बोलते हैं। अलग-अलग नाम स अलग-अलग स्वरूप में ये देवदासियां आज हमारे समाज में हैं।

बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में आप देखेंगे कि प्रास्टीट्यूटस में 35 प्रतिशत ऐसी देवदासियां लगाई गई हैं। आज तो कुछ लोगों का बिजनेस हो गया है कि प्रास्टीट्यूशन में लाने के लिये उनको बोलते हैं कि देखो येलम्मा की मरजी हो गई। कोई अच्छी लड़की गांव में दिखाई दी, गरीबी के कारण उसको अर्पित किया जाता है और बाद में उसको वेश्या के व्यवसाय की तरफ ले जाया जाता है। ये बड़े दुःख की बात है।

आज आप देखेंगे कि जो गरीब और अनपढ़ लोग हैं, हरिजन और आदिवासी हैं, उन्हीं की लड़कियां ज्यादा इसमें देखी जाती हैं। इसका मतलब यह है

कि उनकी दरिद्रता के कारण कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। इस कुप्रथा को बन्द करने के लिये कोई कदम उठाये ही नहीं गये हैं, ऐसा नहीं है। शासन हर बार कोशिश करता रहा है। पहला प्रयत्न 1910 में मैसूर गवर्नमेंट ने कानून बनाकर किया।

उसके बाद 1924 में भारतीय दण्ड विधान की धारा 372 और 375 को इस प्रथा के निवारण के लिये लागू किया गया। तीसरी बार 1927 में उनकी मुक्ति के लिये ऐसा ही एक विधेयक पास किया गया। 1939 में कर्नाटक में मन्दिर की जमीन का पट्टा देवदासियों को देने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी कानून बनाकर ऐसा प्रयास किया गया। और अभी कुछ महीने पहले 1972 में कर्नाटक शासन ने एक प्रभावी कानून पास किया है। समयाभाव के कारण उसका ब्यौरा मैं यहां पर नहीं दे सकती, लेकिन पांच हजार रुपये जुर्माने और पांच वर्ष के कारावास तक का प्रावधान उसमें किया गया है। इसको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि अभी इस साल कर्नाटक के येलम्मा मेले में कई हजार लड़कियों का अर्पण होने जा रहा था इसलिये कर्नाटक गवर्नमेंट पहले से ही सोच रही थी कि ऐसा कानून बनाया जाये। अतः कर्नाटक सरकार ने पहले से ही कानून बना दिया ताकि वहां पर विक्रय या भगवान के नाम पर अर्पण न किया जा सके। मैं समझती हूं कि कर्नाटक की सरकार ने यह एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और इसके लिये इस देश की सभी महिलाएं कर्नाटक शासन की आभारी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पार्लियामेंट में इस बिल को इन्ट्रोडयूस किया तो उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने निर्णय लेकर यह कानून बनाया और उससे हमारा विश्वास दुगुना हुआ। अब केन्द्रीय सरकार भी जरूर इस बात को मानेगी कि इस प्रकार की समस्या है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने अब रास्ता खोल दिया है। हमें यहां पर बताया जायेगा कि 1956 का जो कानून है उसके अन्तर्गत महिलाओं का व्यापार या विक्रय नहीं हो सकता है परन्तु देवदासी का उससे कोई संबंध नहीं है। देवदासी के लिये उसमें कोई स्पेशल प्राविजन नहीं है। यह भूल-भुलैया जैसा कानून महिलाओं के लिये बनाया गया है वह हमारे काम का नहीं है क्योंकि उसमें गुनाहगार छूट जाते हैं।

इसी संसद में बलात्कार और दहेज के खिलाफ जो संशोधन विधेयक पेश किया गया उसको सभी दलों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। हमारी प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं एक स्त्री हैं, उन्होंने भी महिलाओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया है इसलिये मैं समझती हूं कि महिलाओं के संरक्षण के लिये ज्यादा से ज्यादा कड़े कानून बनाकर उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिये। और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार इसके लिये पूरा प्रयास करेगी।

मैंने यहां पर जो बिल पेश किया है, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वह मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। यदि किसी भी मंदिर में किसी देवता के नाम पर किसी स्त्री को अर्पित किया जाये तो इस कानून के अन्तर्गत उसको देवदासी माना जायेगा और यह एक गुनाह समझा जायेगा। देवदासी प्रथा के अन्तर्गत पुत्री आदि समर्पित करने के लिये तीन वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। इस प्रथा के अन्तर्गत लड़-

[श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी]

कियों को स्वीकार करने के लिये कम से कम दो वर्ष और ज्यादा से ज्यादा पांच वर्ष तक की सजा हो सकेगी और पांच हजार तक जुर्माना होगा। इस प्रथा के अन्तर्गत व्यक्तियों को लड़कियां समर्पित करने में सहायता देने के लिये पांच वर्ष तक का कारावास और पांच हजार तक जुर्माना हो सकेगा। देवदासी या इस प्रकार के नाम से वेश्यावृति चलाने के लिये जो दोषी पाया जायेगा उसको पांच हजार रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बिल में रखी गई हैं। 1956 के अधिनियम के उपबन्ध 104 को भी, जहां कहीं जरूरत हो, महिलाओं पर अत्याचार को रोकने तथा उनकी सुरक्षा के लिये लागू किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ जो महत्व का मुद्दा है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यदि हम किसी भिखारी को कहते हैं कि तुम कल से भीख मत मांगो, तो वह कहेगा कि कल से हमारे लिये रोजी-रोटी की व्यवस्था कर दो, तो फिर हम भीख नहीं मांगेंगे। समाज में जो गरीब हैं, उपेक्षित हैं, जब उनके सामने क्रांति की बात, परिवर्तन की बात की जाती है, तो रोटी का सवाल सामने आता है। इसलिये यदि हम यह कहें कि कल से इस देवदासी की प्रथा को बन्द करो, तो यह हो नहीं सकता है, जब तक कि इसके लिये प्रभावी कदम न उठाये जायें। इस संबंध में महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े-बड़े साहित्यकारों ने बड़ा-बड़ा साहित्य लिखा है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार को इस संबंध में कानून बनाना चाहिये। आप यह भी जानते हैं कि वे पति का नाम अपने बच्चों के साथ नहीं लगा सकती हैं। इसी वजह से कई माताएं बच्चों को लेकर स्कूल नहीं जा सकती हैं कि इनका नाम स्कूल में क्या लिखाया जाये। आप जानते हैं कि यह प्रथा रही है कि बच्चों के नाम के साथ पिता का नाम लिखा जाता है। अब भी लिखा जाता है। इसलिये मैं चाहती हूं कि वह अधिकार माता को दे दिया जाये, ताकि वह माता अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर स्कूल ले जा सके। इस गर्व के साथ कि यह मेरा बच्चा है, पिता का नाम नहीं है, तो क्या हुआ। उपेक्षित वर्ग के लिये नेशनल रूरल एम्पलायमेंट स्कीम है जिसको सरकार पूरा करती है उसी प्रकार इनके लिये सरकार को योजनाएं बनानी चाहियें। कर्नाटक में कई संस्थायें हैं उनको सरकार हाथ में लेकर मदद देकर उनके जरिये इस काम को करवा सकती है जोकि अच्छा काम करके दिखाये।

मैं आपके सामने दो उदाहरण और पेश करना चाहती हूं। पूना में कुछ वर्ष पहले महानगर पालिका की तरफ पांच हजार देवदासियों को आरोग्य कार्ड दिया गया था, उनकी जांच करके दवाई की व्यवस्था की गई थी। कर्नाटक शासन ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि जो देवदासी की लड़की के साथ शादी करेगा, उसको पांच हजार रुपया दिया जायेगा। जिस प्रकार हम इन्टरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देते हैं, उसी के साथ-साथ यदि देवदासी की लड़की से शादी करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा, तो देवदासी की लड़की भी अपना घर बसा सकेगी और सम्मान के साथ समाज में जीवन व्यतीत कर सकेगी।

पुनर्वास पर बात करते हुए, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि किसी भी काम को करने के लिये, गलत या सही, राजनीतिक समर्थन जरूर प्राप्त होना चाहिये । यदि सैन्टर का समर्थन प्राप्त रहेगा, तो हर प्रान्त को, चाहे प्रान्त में किसी भी पार्टी की सत्ता हो, उनको वह बात माननी पड़ेगी और उस कानून का इम्पलीमेंटेशन करना पड़ेगा ।

[SHRI N. K. SHEJWALKAR in the Chair]

15.59 hrs.

मैं यह भी समझती हूं कि सिर्फ कानून से यह समस्या हल होने वाली नहीं है । पिछले साल हमने एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया था, जिसमें स्त्री मुक्ति परिसंवाद पर चर्चा की गई थी । जिसमें काफी बड़े-बड़े लोगों ने अपने-अपने विचार रखे थे । जिसमें एक देवदासी के लड़के ने भी भाषण दिया था । उसने कहा कि सरकार हमें रिजर्वेशन देगी, मकान बनाकर देगी, सर्विस देगी, लेकिन पिता का नाम नहीं देगी । ऐसा कानून तो दुनिया की कोई भी सरकार नहीं बना सकती है । इसलिये यह एक बहुत ही महत्व-पूर्ण सवाल है कि वे लोग समाज में जीवन कैसे व्यतीत करें ।

वे लोग सम्मान से कैसे रहें--इस दृष्टि से यह कानून जल्द से जल्द बने और आगे चल कर देवदासियां न बन सकें । कर्नाटक के येलम्मा मंदिर में देवदासी नहीं बनने दिया गया तो उनके घर जाकर बना रहे हैं, घर जाकर उनको दीक्षा दे कर इस धंधे में लगा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यदि हम इस प्रथा को बन्द नहीं कर पाये तो आगे चल कर इनके अन्दर पैदा होने वाली युवा पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, लड़कियां हमसे पूछेंगी कि हमारे साथ शादी कौन करेगा, लड़के पूछेंगे कि हमारा बाप कौन बनेगा ? इसलिये इस कानून का बनाना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है, जिस तरह से महिलाओं के हित में बनने वाले अन्य कानूनों का इस सदन ने समर्थन किया था, इसका भी आप पूर्ण समर्थन करेंगे, जिससे कि देवदासी प्रथा इस देश से समाप्त हो सके ।

मैं जानती हूं--हमारे मंत्री महोदय पहाड़ी क्षेत्र के हैं, जहां के लोग यद्यपि कम पढ़े-लिखे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, वहां इस तरह की प्रथा नहीं है । लेकिन मुझे दुःख है कि देश के इस भाग में अपने स्वार्थ, अपनी लालसा की पूर्ति के लिये इस तरह की प्रथा को जीवित रखा गया है । मैं यह भी जानती हूं कि इनको ढूंढना, इनको कन्ट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है -- यदि आप इसके लिये प्रयत्नशील रहेंगे तो हम इस प्रथा को समाप्त करने में अवश्य सफल हो सकेंगे ।

मैं आप से एक बात शिक्षा पद्धति के बारे में पूछना चाहती हूं--यदि आप शिक्षा-पद्धति पर गौर से ध्यान दें तो आज समाज में जो विषमता है, शोषण है, उसको दृष्टि में रखकर क्या आप अभ्यास-क्रम में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं ? मैं जानती हूं कि इसमें कुछ लोगों के दिल दुखेंगे, धर्म वाले लोगों को यह सहन नहीं होगा, लेकिन हमें जो भी काम करना है, वह देश के उपेक्षित और पिछड़े हुए लोगों के लिये करना है, उनको साथ लेकर आगे चलना है । इसी लिये आज मैंने इस कानून को यहां पेश कर के आपसे इसे पास करने का अनुरोध किया है ।

[श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी]

मेरा आखरी मुद्दा यह है कि भारत मानवता में विश्वास रखने वाला देश है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं, जो छोटे-छोटे राष्ट्र हैं, शिक्षा और संस्कृति में पीछे हैं, गरीबी में बहुत पीछे हैं, आज उनका नेतृत्व हम करने जा रहे हैं, इसलिये समाज में जो भी गन्दी चीजें हैं, गन्दी परम्परायें हैं, उनको उखाड़ने का पहला कदम भी हमको ही उठाना पड़ेगा ताकि न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर के बाजार कहीं भी इस तरह की महिलाओं से भर न पायें। इसके लिये हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

मैं आशा करती हूं कि सारा सदन मेरे इस बिल का समर्थन करते हुए इस को पास करायेंगे।

16. hrs.

MR. CHAIRMAN: Now, there is an amendment by Mr. Mool Chand Daga. He is not here. Mr. Amal Datta may take the floor now.

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour): Mr. Chairman, what is most gratifying in respect of this Bill which seeks to abolish a dismal and denigrating practice is that it has been moved by a lady Member of this House. We have found recently that women have come forward in every way to plead the cause and assert the rights of their less fortunate sisters, whom they are now trying to protect. They have come forward with a vow, with tenacity and determination and we have found evidence of this not only in this House but outside, also. Very recently there was a case in which Women's Organisations have protected the rights of an unfortunate girl who was being harassed by her own family members. They had gone to the Police in order to harass the Women's Organisation through the Police. But the Women's Organisation stood against these harassments and at last won the case in court and saved the unfortunate girl from her agony.

This is the most heartening side of this dismal situation.

But the practice about which the hon. Member feels concerned, really concerns every one of us. It is a social evil, which cuts across all political ideologies and political barriers. It is a human concern, but one must understand that this is also one of the thousands of manifestations of one particular evil, which is a fundamental evil, which means exploitation by the owners of the means of production of the mass of the people. It in this economic exploitation which gives rise to this kind of evil. This has come down to us, may be for centuries, because we had an exploitive feudal society and these feudal lords carried on their exploitation not only through their economic measures, but also through the religion which they controlled.

Religion has always been a hand-maiden of the capitalists and the feudals. These people had always used religion in order to exploit the weaker section people of the society in this dehumanising fashion. This is what must be understood. It is not that simply today by abolishing the Devdasi system, we will be able to give protection to those unfortunate women. Devdasi system is something which is at least foreign to our part of the country; it is not there; it is mostly confined to the South. But that does not mean that the trafficking in women is in any way less in any of the metropolitan cities or for that matter, where Devdasi system does not prevail.

The hon. Member has given certain figures and I think, they are correct. She has said that 35 per cent of the prostitutes in the metropolitan cities consist of women, who were made Devdasi, first, and then sold out for prostitution. Even then, it means that 65 per cent of the women who are prostitutes in the metropolitan cities and elsewhere have come from sources other than Devdasi system. That mean' that the Suppression of Immoral Traffic

which was passed long ago in 1956, and amended two or three times since then, has totally failed in its purpose. That being the position, it means that this social evil will continue as long as the society and the economic system continues in its present form.

I support this measure. I am not saying that because this evil will soon transform itself to some other evil, therefore I will not lend my support. That is not my position, or the position of my party. This is a matter of human concern, and we must support it. This debasing system which uses the religion for this evil must be abolished, and the persons responsible for it must be awarded rigorous imprisonment as has been proposed in this Bill.

What I am saying is that even by enacting this legislation by this Parliament, we will not be able to eradicate this evil. Already, I am told that the Karnataka Legislature has passed an Act to end this evil, but this has not put an end to that. otherwise it would not perhaps have been necessary to bring this Bill before this House. But it has been done with the hope that some action by the Central Government may help in putting a stop to this practice, or at least lessen the harsh consequences of this particular system. But let me make it clear that we will not be able to achieve the end which we hope to achieve by this kind of enactment. That is what we have seen unfortunately from the working of the Suppression of Immoral Traffic Act which has been of a very little consequence. If there are a thousand acts of prostitution going on in a city in one night, then only one of that is prosecuted and even that not successfully. That being the position, the implementation of such an Act will be practically impossible. But even then I support this and say that all of us get together and try to make the executive work these Acts—the Suppression of Immoral Traffic Act and this Act wherever it has been passed. And if today this House passes this Act, then this Act also should be implemented with as much vigour as possible. But I have to repeat to emphasise my point that this is only Act, which was passed long ago in -956, and amended two or three times since then, has totally failed in its purpose. That system otherwise this evil will transform itself into some other form. In the name of God a girl is being sold and the girl is being dedicated knowing full well that she will not be with the God, she will sleep for the next few night with the God's representative on Earth—the Priest—and after that she will be auctioned. This I suppose in sum and substance is the system. Knowing full well what will be her plight, the family does it, merely because of superstition, may be out of ignorance?

Mr. Chairman, Sir, I refuse to believe that they do it all merely because of superstition or ignorance. There may be some stupid people, who simply may dream at night, because of the things they think about, that unless the wife or the daughter is sacrificed in this fashion, untold harm and misery will be inflicted by the curse of Gods. But such situations are few and far between. One or two of such happenings are splashed in the newspapers and the idea is created. This is the reason why because of superstition and because of obscurantism the people are doing this. No, Sir, that is not the position. The position is that these people are compelled to sell the daughter or the wife because they are in such economic condition, that they cannot provide for them. It is that economic condition from which we must give them relief. That is what the primary function of the Government is today and we must remember that until that has been fulfilled, merely by passing a legislation of this nature, we will not be able to put a stop to the social evils of this type. This will continue as long as economic exploitation continues; this will continue as long as poverty continues.

The causes of prostitution can be analysed in various ways. Some say it is only economic; some say it is economic and social; some say it is economic and social and mixed up with religion as it is in this particular case, but ultimately it is always economic. If you analyse in depth you will come to the conclusion that ultimate

[Shri Amal Datta]

reason is economic and nothing else. Sometimes we have been given instances of broken homes. The Socialogists are very fond of giving such explanations. A husband deserts his wife and it gives rise to a case of wife turning into a prostitute; or in a broken home where wife and husband have separated, and the daughter has no love from either side, she turns into a wayward girl and becomes a prostitute. Now, these explanations are there. But these situations divorced from the economic plight may be one or two cases where women fall in evil company and go into this kind of a life. But we cannot go by such explanations. The root cause is economic exploitation, the lack of basic amenities of life that turns a woman into a prostitute.

Now, people sometimes ask if economic reason is the main consideration, if that is the main compelling and driving force to make a woman into a prostitute, then why is it happening in America? Why has it happened in Europe? There, the people are affluent. But simply because the national or average, that is, per capita income is higher there, it does not mean that everybody there is rich. There is a wide disparity in all capitalist countries in per capita income. There are people down below in the social and economic ladder who cannot take recourse to anything else. During the last 3 or 4 years, unemployment has been raging so high in all the capitalist countries, that many women have had to take to this path.

I have seen from newspaper cuttings that in England, there was a convention of prostitutes. The prostitutes had called that meeting—there, the women are more advanced than in our country—in order to stop Police harassment. And they said that if it did not stop, they would reveal the visit of VIPs to their quarters. They had got a clue from their sisters in Madrid who were being harassed by the Police there. This was followed subsequently in Paris.

These prostitutes were assertive of their rights, but they also said in that meeting that they had been driven to that life because of their economic situation. It was not possible for them, when they came to that profession, to do anything else to earn a livelihood. If a woman is starving for a few months, this is the only path open to her, particularly when she had children to support, and she takes to this path. The women will do anything to support their children. The result of this investigation is that it is the single women with children who are the most predominant among people who are becoming prostitutes in the Western countries. Not merely for meeting their own needs, but where they have the moral obligation to support the child, and they have been deserted by the fathers, whoever they were.

I say this because I want to drive home this particular point viz. that it is the economic condition which turns the woman into a prostitute. Unless we are able to find ways and means of changing our society and economic system and do away with the present exploitative system, we will continue to have this problem.

With these words, I support the Bill.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, हमारी संसद सदस्य श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने जो देवदासी और मुरली प्रथा की समाप्ति के लिये विधेयक सदन में उपस्थापित किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । हमारे दूसरे माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा कि इसके पीछे आर्थिक कारण हैं । मेरा कहना यह है कि कुछ अंश में आर्थिक कारण जरूर है लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने उलटते हैं तो पता चलता है कि दो हजार वर्ष पहले से यह प्रथा है । पुराणों में भी इसकी चर्चा मिलती है, लेकिन महाभारत में यह कहीं नहीं देखने को मिलता है कि ये देवदासियां मन्दिरों के लये ही होती थीं , लेकिन यह प्रथा उ समय भी अपरोक्ष रूप

से विद्यमान थी। यह प्रथा कुछ प्रान्तों में है, लेकिन भिन्न-भिन्न रूप में दूसरे प्रान्तों में भी यह प्रथा अभी भी विद्यमान है।

नारी हमेशा से शोषिता रही है। यह आज कोई नई बात नहीं है। इन्हें "आंचल में है दूध और आंखों में पानी" के रूप में भी देखा जाता है। हमारे देश में हमारे समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिये कानून बनाये हैं। हजारों वर्ष पहले तो नहीं, लेकिन सैकड़ों वर्षों से जो बुराइयां और कुरीतियां नारी के शोषण के लिये चली आ रही हैं, उनके विरुद्ध आवाजें उठती आ रही हैं।

राजा राम मोहन राय की बात सभी जानते हैं कि वे किस तबके के समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी ने और सभी ने महिलाओं के विकास और उन्नति के लिये समय-समय पर अपनी आवाजें उठाई हैं और कानून भी बनते रहे हैं। लेकिन, हमेशा यह बात कही गई है कि कानून बनने से कुछ नहीं हो सकता है। यह तब तक नहीं हो सकता है, जब तक समाज में जागृति नहीं आयेगी और लोगों को यह नहीं बताया जायेगा कि हमारा समाज इस बुराई से कितना प्रभावित होता है। परम्परा और रूढ़िवादिता की शिकार महिलाएं हो रही हैं।

हमारे यहां धर्म के नाम पर और धर्म की ओट में बहुत सारे गलत काम, किये जाते हैं जो हमारे समाज में कलंक हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले ही वेश्या-वृति की रोक थाम के लिये हमारे यहां कानून बनाये गये हैं। इसे हमारे समाज में काला धब्बा समझा गया, तभी इसके लिये विधेयक बनाये गये। इसी प्रकार धर्म की ओट में देवदासी प्रथा भी समाज का कलंक है। यह सिर्फ हमारे लिये नहीं, बल्कि समाज के हरेक वर्ग के लिये कलंक है।

यह देश की समस्या अभी भी हमारे यहां है और जैसा कि हमारी बहन ने पहले कहा कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में ये देवदासियां भारतवर्ष में हैं, विशेषकर दक्षिण में। अगर स्वत: कोई महिला ऐसा काम करती है तो उसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन, उसे बाध्य किया जाता है और धर्म के नाम पर मन्दिरों में इसलिये उसकी कुर्बानी की जाती है, क्योंकि वह महिला है।

नारी को हमेशा से ही शोषित किया गया है। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि समाज और धर्म के नाम पर यह करना है। हमारे यहां जब औरतें विधवा हो जाती हैं तो उन्हीं पर यह पाबन्दियां होती हैं कि वे मांस, मछली नहीं खाएं, रंगीन कपड़ों की बजाय सफेद कपड़े पहनें, उनके बाल काट दिये जाते हैं। यह पुरुषों के लिए नहीं होता है। (व्यवधान) सब लोगों को मालूम है कि ऐसा होता है। क्या ऐसी स्थिति में महिलाओं का यह कर्तव्य नहीं होता कि इसके लिए आवाज उठाएं, सदन, में इसके लिए विधेयक लाएं? आप देखेंगे कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने महिलाओं के उद्धार, उनकी उन्नति हेतु ऐसे कानून बनाए हैं जिससे उनका विकास हुआ है। मैं तो यह समझती हूं कि देवदासी प्रथा के विरुद्ध जो कानून बनाए जाएं यहां संसद् में ही बनाया जाय ताकि सभी जगह यूनिफार्म ढंग से इसका पालन हो। एक कानून भारतवर्ष के लिए हो। परोक्ष या

[श्रीमति कृष्णा साही]

अपरोक्ष, डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट, जहां भी इस प्रकार की बात होती है उसके ऊपर पाबन्दी लगाई जाए ।

सबसे बड़ी बात यह है कि जब ह्यून-सांग भारत में आए थे तो सबसे पहले वे इस बात को सबके सामने लाए और उन्होंने इतिहास में भी लिखा है कि सम्भवत: ग्रीक या यूनान से यह प्रथा भारत में आई है । इसका मतलब यह होता है कि हमारे यहां इस प्रथा की शुरूआत नहीं हुई, कहीं और से हमने इसको ग्रहण किया । हमारी संस्कृति और सभ्यता में यह प्रथा बाद में आई है । जिस संस्कृति और सभ्यता के लिए हम सारे विश्व में इतना पुराना और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसको देखते हुए इस विज्ञान के युग में सारे लोग कहां से कहां जा रहे हैं और अभी हम देवदासी प्रथा को ही समाप्त कर रहे हैं, यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है । इसलिए, मैं सदन से अपील करती हूं कि सब लोग इसके ऊपर एक मत से विचार करें और इस विधेयक को हम सब पारित करें ।

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं माननीय श्रीमती ऊषा जी के इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि इन्होंने समाज की एक पुरानी कुप्रथा के ऊपर नियंत्रण करने की अपनी इच्छा जाहिर की है । वस्तुत: कुप्रथाएं देश में इतनी हैं जो अंधविश्वास, अशिक्षा और गरीबी के कारण चल रही हैं और इन कुप्रथाओं के पीछे सदियों के पुराने जो सामन्त होते थे उनका विलास छिपा होता है । उन्हीं लोगों ने धार्मिक आड़ में शिकार करने की इस कुप्रथा का श्रीगणेश किया और इसी के परिपेक्ष में ऐसे कुकर्म करते रहे । यह प्रथायें हमारे देश के लिए कलंक का विषय है । वेश्यावृति में लगी महिलाओं में से 35 प्रतिशत महिलायें इस देवदासी प्रथा से पीड़ित महिलायें हैं । यह गम्भीर चिन्ता का विषय है । कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह प्रथा हजारों साल से चली आ रही है, इसे जनप्रिय और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जगह नहीं होनी चाहिये ।

यह सही है कि अभी तक जितना शिक्षा का विस्तार हमारे देश में होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है । आज तक 25,30 प्रतिशत ही शिक्षा हो पायी है, जिस देश में 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हों वहां इस प्रकार की कुप्रथाओं का होना स्वाभाविक है । अत: ऐसे क्षेत्र में जब कि शिक्षा का विस्तार नहीं होगा तब तक यह प्रथा दूर नहीं होगी । आज भी विज्ञान के युग में ऐसे अंध विश्वास में जकड़े हुए लोग हैं जो सोचते हैं कि परिवार में से एक लड़की को यौवनावस्था प्राप्त करते ही देवदासी या जोगनी के रूप में नहीं दिया जायगा तो उसके परिवार का अनिष्ट होगा । जहां इतना अंधकार है वहां ऐसी कुप्रथा को नष्ट करने के लिए जब तक कानून का हाथ नहीं जायगा तब तक यह गलत परम्परा पर कुठाराघात नहीं हो सकता है । इसलिये यह विधेयक समीचीन है और सरकार तथा सभी सदस्यों को इसका समर्थन करना चाहिए ताकि यह कुप्रथा दूर हो । यह बिल तो सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए था । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्या इसको वापस न लें । हम इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे क्योंकि यह कुप्रथा नारी समाज के लिए भयंकर कलंक का विषय है और इसको समाप्त ही होना चाहिए । इसलिए सरकार को हर तरह से विचार करना चाहिए और

कि इस विधेयक की जगह दूसरा विधेयक सरकार की ओर से इसी सत्र में लाया जायगा और इसका उन्मूलन किया जायगा । जैसा अभी इन्होंने बताया है, अगर 35 फीसदी औरतें वेश्यालयों में देवदासी प्रथा से बनी हैं तो यह कम बड़ी बात नहीं है । मैंने देखा है जी० बी० रोड में जहां वेश्याएं रहती हैं, उसमें बहुत सी खोखे और झोपड़ियों में रहती हैं । हमने अपने क्षेत्र में भी देखा है ऐसी जगहें हैं जहां सैकड़ों लड़कियां उधर से लाई जाती हैं और यह चलते फिरते वेश्यालय चलाये जा रहे हैं ।

प्रो० सत्य देव सिंह : (छपरा) : उसके विरोध में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जब तक यह कानून नहीं बनता है तब तक हम कर ही क्या सकते हैं ? जो विवश महिलाएं हैं वह क्या करें ? उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, जब उनको समाज में लाने के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है तो उस विवशता के अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं रहता है । किस कानून के द्वारा उनका पुनर्वास किया जाये । ये लोग गरीब हैं, दुर्बल हैं और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए । अभी तक यह कमी रही है ।

मैं बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं कहना चाहता, लेकिन अपना हार्दिक समर्थन इसमें देता हूं और मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चाहे वह इसी बिल को पास कर दें अथवा इसकी जगह पर दूसरा बिल ला कर इस प्रथा को समाप्त कर ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह देवदासी एण्ड मुरली प्रैक्टिस (एबोलीशन) बिल माननीय सदस्य श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने यहां रखा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । इस प्रकार की प्रथा इस देश में हजारों सैकड़ों वर्षों से चलीं आ रही है । हमारे राजस्थान में भी एक प्रथा थी ।

हमारे यहां सामन्तों की जब शादी होती थी तो उसके साथ दहेज में इस प्रकार की लड़कियां दी जाती थीं जिनको बांदी कहा जाता था । उनका भी कोई शादी विवाह नहीं होता था और उनके जो बच्चे होते थे, उनके पिता का नाम नहीं होता था । इस प्रकार की प्रथा का जब तगड़ा विरोध राजस्थान में किया गया तो यह प्रथा समाप्त हुई और इस प्रकार लड़कियों के लेन-देन की प्रथा समाप्त हो गई । इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही वहां पर अब नहीं होती है ।

अभी माननीया सदस्य बोल रही थीं कि महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है । हमारे यहां जो सती प्रथा थी, उसमें भी उनके साथ बड़ा अत्याचार होता था जिसको राजा राम मोहन राय ने बड़ा भारी आन्दोलन चला कर समाप्त किया और औरतों के साथ जो अन्याय होता था, उसको समाप्त किया ।

इसी प्रकार से जो अन्याय और अत्याचार यहां होते हैं देवदासियों के सम्बन्ध में जिसमें परिवार की एक लड़की को मंदिर में सुपुर्द कर दिया जाता है और उसके बाद नृत्य, संगीत में प्रवीण किया जाता है और फिर उसके बाद जिस प्रकार की हरकतें उसके साथ होती हैं, उन सब को बन्द किया जाना चाहिए । आज यह हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है । इसे हमें समाप्त करना चाहिए ।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

आज हमारे देश में स्त्री-पुरुष को समान अधिकार है ऐसी स्थिति में एक समाज को कलंकित करना या उनके किसी मेम्बर का मंदिर में इसलिए सुपुर्द करना कि वह आगे चल कर वेश्या बने और वेश्या-वृत्ति को इस देश में ज्यादा से ज्यादा फैलाये, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश और समाज पर बहुत बड़ा कलंक है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए ।

अभी हमारे वर्मा साहब बोल रहे थे कि गांव में, देहात में जो गरीब होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं होती, जिनमें शिक्षा का अभाव होता है, अन्धविश्वास होता है, उस प्रकार के लोगों को वहका और फुसलाकर मंदिरों में देवदासी बना कर भयंकर दुरुपयोग किया जाता है । इस समाज में इस प्रकार के बहुत लोग हैं । यहां देवदासी की बात कही जाती है, लेकिन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, वह अपनी वासना के लिए इस प्रकार की जो अव्यवस्था चला रहे हैं, सरकार को इस सम्बन्ध में भी ध्यान रखना चाहिए और समाप्त करना चाहिए । सरकार को इस सम्बन्ध में भी ध्यान रखना चाहिए । (व्यवधान) वैसे इस सम्बन्ध में हमारी सरकार जागरूक भी है क्योंकि कईयों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है । ऐसी गलत परम्परायें समाज में जो पड़ गई हैं और जो हमारे पैसे वाले नौजवान हैं, जिनके पास काफी धन है, वे जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग करते हैं, साथ ही अपना आचरण खराब करते हैं, अपना करैक्टर खराब करते हैं, समाज की प्रतिष्ठा को भी गिराते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए ।

माननीय सदस्या के इस बिल के अन्तर्गत जो लोग ज्यादा पैसा दे कर देवदासी ले लेते हैं और उसको कानक्यूबाइन या वाइफ की तरह से रखते हैं, उसके सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उसको पत्नी के सारे अधिकार प्राप्त हो सकें । यदि उसको प्रापर्टी और हेरिडेट्री सम्पत्ति में अधिकार और हिस्सा मिलेगा तभी समाज में उसकी कुछ प्रतिष्ठा बन सकेगी ।

सब से पहले तो कानून के जरिए देवदासी प्रथा को बिल्कुल इल्लीगल करार दिया जाना चाहिए और माननीय सदस्या ने इस बिल में जो प्रावधान रखे हैं, उनसे भी अधिक कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए । दूसरे जो प्रापर्टी राइट की बात कही गई है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब तक उसको पत्नी के सारे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तब तक प्रापर्टी कहां से मिल सकेगी ? इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी हायस्ट बिडर देवदासी को ले वह उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे तथा उसकी सम्पत्ति में पत्नी की हैसियत से उसको अधिकार मिले । इस सम्बन्ध में वैसे तो कई राज्य सरकारें कानून बनाने की बात सोच रही हैं लेकिन माननीय सदस्या ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत सरकार को स्वयं आगे आकर कानून बनाना चाहिये । या तो सरकार इसी बिल को स्वीकार कर ले या इस बिल में अगर उसको कुछ कमियां नज़र आयें तो एक दूसरा बिल लाकर यहां पर प्रस्तुत करे ताकि उचित प्रकार से सारी व्यवस्थायें की जा सकें ।

इसके साथ ही साथ उनके रिहेबिलिटेशन की भी कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए । हमने बान्डेड लेबर के सम्बन्ध में कानून बनाया है और उनको लोन, मकान, ज़मीन दे कर सहायता पहुंचा रहे हैं । इनकी हालत तो बान्डेड लेबर से भी बदतर है । इसलिए जब तक इनको रिहैबिलिटेट करने की व्यवस्था नहीं की

जायेगी तब तक समाज में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकेगी । अतः उनको रिहैबिलिटेट करना नितान्त आवश्यक है । आज के युग में इज्जत उसी की होती है जिसके पास कुछ पैसा या सम्पत्ति हो ।आज पैसा ही सबसे बड़ा है । जिसके पास धन है, सम्पत्ति है, वह चाहे जैसा भी आदमी हो, तब भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी । जब इस प्रकार की व्यवस्था समाज में है, पैसे की कदर होती है, तो इस प्रकार के लोगों के लिए समाज में निश्चित तरीके से पैसे या अन्य प्रकार की सुविधाओं को मुहैया करना नितान्त आवश्यक है । तब जा कर वे समाज में प्रतिष्ठा पा सकेंगे । इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार के लड़के-लड़कियों की शादी के सम्बन्ध में जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं उन के मुताल्लिक सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि जो भी देवदासी के लड़के लड़की से शादी करेगा, उसको यह इनाम दिया जाएगा । जब तक इस प्रकार की सुविधा या प्रोत्साहन उनको नहीं मिलेगा, तब तक वे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकेंगे । नहीं तो जिस प्रकार की हीनता उनके मन में व्याप्त है, वह व्याप्त ही रहेगी । इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि एसे लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए बहुत सारे कारगर कदम उठाने चाहिए, ताकि समाज में इस प्रकार की प्रथायें समाप्त हो सकें और समाज में सम्मानजनक प्रतिष्ठा उन महिलाओं का मिले और वे भी अपना जीवन व्यतीत कर सकें ।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री एम०सत्यनारायण राव (करीमनगर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्या, श्रीमति उषा प्रकाश चौधरी को मुबारकवाद देता हूं कि वे इस प्रकार का बिल सदन में विचार करने के लिए लाई हैं ।

लेकिन आज न सिर्फ यह बिल बल्कि उनका भाषण सुनने के बाद इतनी खुशी हुई । इधर से भी महिलायें अब संसद की डिबेट में भाग लेने लगी हैं । उधर की तरफ से श्रीमति प्रमिला दंडवते काफी हिस्सा लेती हैं लेकिन इधर से लोग ज्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं । हम नहीं जानते थे , लेकिन उनका भाषण सुनकर बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने जो कारण और सुझाव दिए हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ।

सभापति जी यदि आप हिस्ट्री को देखें तो आप को पता चलेगा कि देवदासी कैसे आई । पहले ज़माने में तो यह सुपर-स्टेशन था, लेकिन आजकल तो हम फैमिली प्लानिंग की ओर ध्यान दे रहे हैं । पहले ज़माने में बड़े-बड़े लोगों राजा महाराजाओं के बच्चे नहीं होते थे । उस जमाने में योगी लोग कह दिया करते थे कि यदि आप भगवान या किसी देवता को यह कह दें कि मैं अपना पहला बच्चा आपको अर्पित करूंगा , तो भगवान खुश हो जायेंगे और आपके यहां बच्चे होंगे । बच्चों की खातिर वे भगवान से यह मांगते थे कि भगवान आप मुझे बच्चा दो अगर आप मुझे बच्चा दोगे तो मैं आपको अर्पित करूंगा । इस संबंध में उषा जी ने श्री व्यास जी ने अभी अपने-अपने विचार रखे हैं । इस प्रकार यह प्रथा बढ़ती गई और और आज सुनकर यह ताज्जुब हुआ है कि ऐसे लोग डेढ़ लाख हैं । मेरे ख्याल में से इतनी संख्या नहीं होगी । खास तोर से जहां तक मुझे पता है, यह प्रथा दक्षिण हिन्दुस्तान में है । बचपन में मैंने देखा था

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

राजा ही नहीं मामूली-मामूली जमीदार लोग जो गांव में रहते हैं वे अपने यहां दासियां रखा करते थे । जो ज्यादा दासियों को रखता था वह बड़ा आदमी समझा जाता था । इसी लिये उस वक्त आन्ध्र प्रदेश में दासियां बनाने का सिस्टम था । इस के लिए वहां कोई कानून तो नहीं बना लेकिन बगैर कानून के ही यह चीज़ बहुत कम हो गई । लेकिन दुर्भाग्य की बात है --अभी महाराष्ट्र , कर्नाटक, तमिलनाडू और उड़ीसा में यह सिस्टम प्रेवलेन्ट है । इस के लिए ऊषा जी जो बिल लाई हैं, वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने है, मैं समझता हूं -- सैन्ट्रल गवर्नमेंट को इस बिल को पास करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है--यह प्रथा पूरे हिन्दोस्तान में नहीं है, सिर्फ तीन-चार प्रान्तों तक ही महदूद है इस लिये शायद उनको कुछ मुश्किलात हो सकती है । लेकिन जैसा मैंने अभी मालूम किया है-- महाराष्ट्र, तामिलनाडू और कर्नाटक इसके खिलाफ कानुन बना चुके हैं सिर्फ उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश बाकी हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में भी है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बार्डर पर है । यू०पी० में आदिवासी सिस्टम नहीं है लेकिन दूसरें रूप में है । बहरहाल जहां भी है अगर स्टेटस अपने-अपने लेजिस्लेशन बनायें तो ज्यादा अच्छी बात होगी और मैं समझता हूं इस में उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए । आप सभी जानते हैं यह सिर्फ देवदासी सिस्टम ही नहीं था बल्कि इसके पीछे पुराने जमाने की कुछ बुराईयां भी छिपी हुई थी । आप को याद है --हमारे यहां पहले सती प्रथा थी जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो बीवी को उस की चिता में उस के साथ जलने का सिस्टम था । लेकिन राजा राम मोहन राय और विलियम बैन्टिन्क ने कानून ला कर इस को समाप्त करने की कोशिश की लेकिन कानून के बावजूद भी उस वक्त सती सिस्टम चलता रहा, बाद में ज़माने के साथ-साथ कम हो गया ।

अभी एक मेम्बर साहब बतला रहे थे--हमारे यहां विधवा के साथ भी बड़ी दिक्कतें थी । बचपन में हम देखते थे कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उस की सूरत खराब करने के लिये उस के बाल कटवा दिये जाते थे । शादी के मौके पर उस को नजदीक नहीं आने दिया जाता था, मन्दिर में जाने के लिये भी इजाजत नहीं दी जाती थी । तुम विडो हो, इस लिये तुम को यहां जाने की जरूरत नहीं है । ऐक तरह से अन-सोशल-एलीमेन्ट बना कर रख दिया था । हमारे यहां आन्ध्र प्रदेश में एक "श्री वीरेशलिंगम पंतुलु" नाम से बहुत बड़े सोशल रिफार्मर हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इस रिफार्म को चलाया खुद विधवा से शादी करने को तैयार हुए और उन की वजह से यह सिस्टम वहां खत्म हो गया । इसी तरह से तमिलनाडू में श्री सुब्रह्मण्यम भारती, पोएट हुए हैं, जिन की सैन्टिनरी अभी हाल में मनाई गई है । उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है । समाज में जितने सोशल-ईविल्ज थे उन को दूर करने के लिये इस महापुरुष ने बहुत कोशिश की । लेकिन इस के बावजूद भी यह दुर्भाग्य की बात है-- 35 साल की आजादी के बाद भी हम यह सुनते हैं कि देवदासी सिस्टम प्रेवलेन्ट

है । मैं एक बात कहना चाहता हूं--सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानून काफी नहीं है । समाज में जितनी महिलाएं हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हों, प्रमिला दण्डवते जी हैं, आप हैं, सब मिल कर जहां कहीं भी औरतों के खिलाफ कोई ऐसा काम होता है, जैसे ट्रैफिकिंग-इन-वुमेन या दूसरी बुराइयां हैं, सब एक आवाज में उसके खिलाफ आवाज उठायें । अभी व्यास जी ने भी कहा था और हमें मालूम है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में क्या हो रहा है । किसी ने कहा कि नाम बताओ, नाम की जरूरत नहीं है, इसके लिये दो किताबें छपी हुई हैं, इन शहरों में बड़े-बड़े लोग औरतों को रख कर क्या-क्या तमाशे कर रहे हैं । इसके खिलाफ कानून है, लेकिन वे इतने ताकतवर हैं कि कानून की जद से भी बच जाते हैं । इसलिये आप सब लोगों को मिल कर इसके खिलाफ आन्दोलन करना चाहिये । इतना ही नहीं, औरतों के खिलाफ और जो दूसरी चीजें हैं, जैसे अपनी बीवी को ठीक तरह से नहर देखना है, लोग यह समझते हैं कि महिला तो एक अबला है । इस से क्या होता है । आज हमारे देश की प्रधान मंत्री एक महिला हैं और हमारे देश की ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी महिला प्रधान मंत्री हैं । पिछले जमाने को हम देखते हैं तो रानी लक्ष्मी बाई जैसी वारयर हमारे देश में हुई हैं । जो लोग यह समझते हैं कि औरतें अबला हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं, यह बिल्कुल गलत बात है । इसलिए मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।

मैं एक मिनट में खत्म करूंगा । इसी से सम्बन्धित एक दूसरा सवाल है और कल यहां पर बैगर्स के मुत्तालिक सवाल आया था । वह भी एक सोशल इविल है, और बैगर्स का सम्बन्ध केवल दिल्ली ही से नहीं है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रशन को ही उसके बारे में कुछ करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है । यह तो पूरे देश की समस्या है और एक सोशल इविल है जोकि एक न्यूसैंस बन गया है । कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई काम नहीं कर सकते हैं । वे अंधे हैं, उनको टांगे नहीं हैं या उन के हाथ नहीं हैं और वे मन्दिरों के पास बैठ कर भीख मांगते हैं लेकिन कुछ लोगों ने इस को एक प्रोफेशन बनाया हुआ है, और आज हम यह देखते हैं कि एक एक बेगर लखपति हो गया है और इस धंधे से उसने लाखों रुपया कमाया है । पैसा कमाने के लिए बच्चों को उठा कर ले जाया जाता है और उनसे भीख मंगवाई जाती है, जोकि एक बड़ा खराब बात है । ऐसी जितनी भी बुराइयां हमारे देश में हैं, उन को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम नहीं समझते कि हमारा देश सही माइनों में आजाद है । देश ने काफी तरक्की की है लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हमको समाज में ऐसी बुराइयों को दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ।

आप का ज्यादा समय न देते हुए, मैं श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी को मुबारकबाद देना चहता हूं कि वे बहुत मेहनत करके इतना अच्छा बिल लाई हैं ।

MR. CHAIRMAN: The time for disposal of this Bill was two hours. Now only forty minutes are left. I would, therefore, request the hon. Members to be as brief as possible.

SHRI S. B. SIDNAL (Belgauw): This is a very important Bill which touches the social condition. You may please allow the Members to speak.

MR. CHAIRMAN: I am not saying that nobody should speak. The hon. Members should avoid repetition and they should conclude within five minutes each.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj): This should not be closed to-day.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदय, हम इस संसद के माध्यम से समय समय पर कुछ अच्छे विधेयकों पर चर्चा करते हैं और ऐसे विधेयकों में से यह भी एक अच्छा विधेयक है, जिसको बहन श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी ने इस सदन में रखा है ।

हमारे देश के अन्दर समाज में जो कमियां हैं और बुरी प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को तोड़ कर नई अच्छी प्रथाओं को स्थापित करना हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है । हमारे देश की आजादी की कल्पना तब तक अधूरी है, जब तक हम सही अर्थों में देश के सभी लोगों को समान रूप से समता और समानता के अधिकार दिला नहीं पाते । मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक सही अर्थों में हमारी आजादी की कल्पना , हमारी आजादी का सपना पूरा नहीं होगा । हम जिसे अबला कहते हैं, उस पर शासन करने की प्रवृत्ति सबल व्यक्ति की होती है । ऐसा मनुष्य अपनी सुविधा के लिए, बड़ा खुदगर्ज हो कर, स्वार्थी हो कर दूसरे का शोषण करने के नजरिये से खुद नये नियम बनाता है और समाज को उसमें इन्वोल्व कर के, किस प्रकार से उसमें उसका हित हो सके, इस प्रकार से इनको बनाता है और इस से ऐसी परम्परा बन जाती है, जोकि निश्चित रूप से हमारे लिए कलंक की बात होती है । समय-समय पर हमारे देश में अच्छे लोग हुए हैं और उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया था कि इस तरह की सामाजिक बुराइयों पर फतह पाई जाए ।

यह बात केवल कुछ प्रान्तों तक ही सीमित है । ऐसा मैं नहीं मानता । यह मनुष्य की दुष्प्रवृत्ति हम कहीं भी देख सकते हैं और हमें पता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ऐसा होता है । अभी अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि किस तरह से लड़कियों को जिन्दा लाशों के समान बेचने और खरीदने का धंधा चलता है । कई लोग इस काम में लगे हुए थे । उसे सारी बात का पर्दाफाश हुआ । कुछ बातें छिपी हुई हैं । जब तक छिपी होती है उससे भी हानि होती है ।

प्रकट में हम यह बात समझते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सड़कों के किनारों पर लोग छोटी-छोटी झोंपड़ियां बना कर रहते हैं । उनकी जीविका का और कोई धन्धा नहीं होता है । उनके यहां लड़कियां अपने शरीर को बेच कर अपने पेट की आग को बुझाती हैं । यह कोई अच्छा धन्धा नहीं है । यह भी बात नहीं है कि यह सब वहीं होता है । ऐसी परिस्थितियां सारी जगहों पर हैं । मध्य प्रदेश में भी इस तरह की सारी बातें हैं । वहां भी सड़क के किनारे पर झोंपड़ी डाल कर लोग धंधा चलाते हैं । सब से बड़ी लड़की इस काम को करने वाली होती है और वह इसलिए यह

काम करती है कि उसकी शादी नहीं होती है । अगर उसकी शादी न हो तो उसका जीवन किस तरह से बीते । जैसे उसका युवापन समाप्त होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है तब जा कर उसे पता लगता है । उम्र बढ़ाने के साथ-साथ उसकी समस्याएं बढ़ती हैं । यह सारे देश के लिए कलंक की बात है।

इस प्रकार के सामाजिक अपराध सारी जगह होते हैं । चाहे देवदासी प्रथा हो चाहे बाछड़ा प्रथा हो, दहेज प्रथा हो, चाहे लड़कियों को बेचने और खरीदने का तरीका हो, यह सारा असभ्य समाज का तरीका है । हमें अपने समाज से इन सारी कुप्रथाओं को समाप्त करना होगा । देश में ऐसी कोई भी प्रथा हो, उस पर काब पाना होगा ।

हमारा देश निश्चित रूप से मातृ-प्रधान देश है । हम माता के कल्याण की बात करते हैं । हम इस देश को भी मां के रूप में स्वीकार करते हैं । इस देश की मिट्टी तो को भी मां मानते हैं । फिर जो जानदार है, उसको हम मां के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हैं ।

हमारे यहां तो संस्कृत में कहा गया है —

यत्र नारी पूज्यन्ते
तत्र रमन्ते देवता

लेकिन आज नारी की पूजा कहां हो रही है ? नारी की पूजा करना यह हमारे समाज के लिए आवश्यक है । मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि :

नारी शक्ति की प्रतीक
नारी देश का मान
नारी न होती तो
होता न यह जहान ।

SHRI S. B. SIDNAL (Belgaum): Mr. Chairman, Sir, I congratulate Shrimati Usha Chaudhury on having brought this Bill for consideration. The Devdasi or Jyoti or whatever name it is called, has been the system traditionally carried for so many years. The system was very much quoted by my sister and the place, I represent the same area, that is, Karnataka, Belgaum district, and Ellamma temple. For the last 100 years, it is going on and still it is there. But it has been reduced very much after the legislation made by the Karnataka Government and due to some other social awareness but it has not been rooted out.

Sir, this problem has to be looked at from so many points. It is not by a simple legislation that such things could be abolished. It should be viewed from social point of view, economic point of view, educational point of view and from the society point of view. These are all-round aspects that we have to study in order to find a solution. For example, this system is restricted only to a low ebb of the society and not the high society itself. Why they are the victims and why it has been traditionally carried out all over the years? This kind of things cannot be banned by legislation alone by the Government. For example, I tell you there have been so many legislations like I.P.C., Cr. P.C. since 100 years back and still we are not able to control the crime. What I mean to say is that the social conditions have to be totally changed. For that, the Government has to study the problem all-round.

For example, education is the first thing that should be paid attention to. The Government has been doing in that way but special care has to be taken on a particular community at a particular place by the State Government and the Central Government. Special officers like the Deputy Commissioner or of his grade and his staff should be asked to take such action as are necessary and the Government servants should go to them and educate them personally going home to home along with social workers.

[Shri S. B. Sidnal]

Then only we can achieve some result. It is not prevailing throughout the country. It is in some parts of the country only.

17 hrs.

The other form of prostitution is regularly conducted in the big cities also. This system can never be rooted out. It could be reduced by legislation and social conditions. It is an outlet of the society. I am afraid, if it is totally curbed, it may lead to some other social problems. I do not support the Devdasi system; I do not support the other form of prostitution. Many times, it has been observed that prostitution is an outlet of the society. There are people who are unmarried and like that. It could be systematised. If it is to be accepted, it should be run in a healthy way as a necessary evil of the society. The medical check-up facilities can be provided regularly and periodically. As the universal truth goes, the society like a river runs into its own way. We can control it and channelise it in a systematic way. We cannot stop it completely. If we stop it completely, the good families cannot live happily. That may create social problems.

With all the suport to the Bill, what I suggest to the Government is that there should be a special committee set up to go round the country, as we have done in respect of some other subjects, and look into the social and economic reasons of this evil. Basicaly, it the economic conditions which force them to do so. We have also read many articles in the newspapers that many girls have run as prostitutes, saved money for dowry and paid it to the boy to get married. Is it not a shame on the part of the society? Why should it only be left to the Government? Why should everything be done through legislation only? Legislation is not an end by itself. The law is always preventive, not curative. Therefore, I suggest that a Committee should be set up to go threadbare into this subject.

In my place, the Harijans are the victims. The system goes even outside the Harijan community. There is a community in my district and in my taluk in which the moment the girl attains majority, a man comes forward, out of their selection, and only on economic grounds, not on any other ground, the girl is given to him and he keeps the girl for five or six or ten years as the case may, and when she loses her charm, as it is mentioned in the Bill, she is thrown away. Subsequently, she cannot do anything except going in for prostitution. This should be discouraged. There should be a more severe legislation than what is presented before the House today. I welcome it. But many things are discussed and just forgotten. And this basic social problem remains. Under the Devdasi system, an innocent child is given away in the name of God on superstituious grounds. There are so many institutions which are making a survey. It might come to the light of the day in due course. I was also associated with them in making a survey and to find a way out.

Actually, it is the poojary who does it. How to prevent it? In the mid-night, somebody is picked up; the girl comes and the mother of the girl is herself an old prostitute. If was ask her, she says, "What shall we do? How shall we feed ourselves? How shall we live? How can I maintain my faimily? I have neither husband, nor father, nor brother and nor the society accepts me."

So, this requires a handsome rehabilitation. Even when we go to them and talk to them, they are scared of us. They do not like to talk to us. But when one goes to them as a customer, then only they reveal things. It has been done in my place. When one goes to them as a Customer, they disclose the total truth about it. If we try to diagonise the problem, we will find that it is only the economic background, the social taboo and the untouchability which leads to this problem. They are looked down upon by the higher castes. It is a social problem. We cannot solve it only through legislation.

That is why I request the House and the House to go in for an all round study of this problem and appoint a committee for the same. In big cities like Bombay,

Calcutta, Delhi, etc. these things are going on in a very sophisticated way, in five-star hotels, in three-star hotels, in one-star hotels, etc. etc., and all classes of people are being satisfied.

17.05 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

So, instead of taking a challenge to root it out, we can reduce it by systematically applying our mind to contain it through medical aid with monthly check-up and yearly check-up, whatever it is, as is done in America and in many Western countries.

But it should not be restricted to a particular community as a system out of fear of God. That taboo can go only through education. If a Harijan girl is a graduate, can she opt for this? She can never opt for it. Or anybody for that matter. It is not only community. What I mean to say is that a low ebb of the society do it from economic point of view. And if education is given, why should they do it? It is not out of pleasure or fancy or any impression or for projecting a personality of their own that they do it. They do it for only feeding their stomach or by the tradition of their village or something like that.

We have been told in our villages also that it is a prestigious issue for a big man, the leader of the village, to keep a woman. And after ten years, she has left over and she has to carry this as a business in subequent years. Many such types of cases are there in any place: There are garhwalis in Bombay and Poona. Everybody knows it. Government is aware. But what to do? They fabulously become rich and come to village and attract the other girls and actually brothers are selling girls for Rs. 500|- or Rs. 250|-.

Everything is costly but human life has become cheap! This is a problem we have to solve by taking up very seriously and not treat it in a casual way.

It cannot be solved only by legislation. I welcome legislation.

I support the Bill.

But with all that, the other aspects, the alround aspect has to be seen and I appeal to the social and religious institutions and call on them to take interet; education is the first source and the first means through which we cau eradicate this evil system of Devdasi and Murli.

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई–उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल लाने के लिये मैं खासतौर से श्रीमती ऊषा चौधरी को धन्यवाद देती हूं । मैं उस क्षेत्र से आई हूं जहां ज्योतिबाफुले प्रतिष्ठान एक संस्था है और जो देवदासियों को संगठित करने का काम करती हैं । आज हम यहां टोटल प्रास्टीट्यूशन पर विचार नहीं कर रहे हैं । बरट्रेन्ड रूसल ने यह कहा है कि :

Prostitution is the logical corollary of monogamy.

उसके अन्दर में नहीं जाना चाहती हूं लेकिन धर्म और मजहब के नाम से गरीब और नीची जाति के तबके की लड़कियों को बेचने और उनको प्रास्टीट्यूट बनाने का काम चल रहा है । इसके ऊपर आज हम यहां विचार कर रहे हैं । 1934 में ब्रिटिश राज में एक कानून बना था । तमिलनाडु में भी एक कानून बना है । 1978 में कर्नाटक ने भी एक कानून पारित किया । मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं । हर साल माघ पूर्णिमा को बेलगाम के पास एक पहाड़ है जहां पर हजारों लड़कियों को बेचा जाता है यानी यलम्मा को अर्पण किया जाता है लेकिन पुलिस को दिखाई नहीं देता । कर्नाटक में सबको पता है । हमारे देश में शारदा कानून हो गया लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हजारों लड़कियों की बचपन में शादी होती है । मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने अपनी पोती का बाल-विवाह कर दिया, बड़े दुख की बात है क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं बदली है । श्रीमती ऊषा जी यह बिल यहां लाई हैं लेकिन बिल की वजह से कानून

[श्रीमती प्रमिला दंडवते]

नहीं बनने वाला परन्तु इसकी आवश्यकता हमारी सरकार के ध्यान में आ जायगी कि जितने कानून प्रास्टीट्यूशन के बारे में हैं, उनका संकलन करके सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक कानून बनना चाहिये जिससे कम से कम यह जो गरीबी, धर्म या भ्रामक कल्पना की वजह से अगर लड़कियों को प्रास्टीट्यूट किया जाता है, उसको हम कैसे रोकें। मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहती हूं। ज्योतिबाफुले प्रतिष्ठान के जवान कार्यकर्त्ताओं ने एक जगह पर जहां यह होता है। जहां लड़कियों को बेचा जाता है उसको झुलुआ कहते हैं। वह शादी का एक तरीका होता है। वह समारोह चल रहा था। उस समय जा कर नौजवान कार्यकर्त्ताओं ने लड़कियों को बचाने की कोशिश की कि शादी नहीं होने दी जायें और जब पुलिस के पास गये और कहा कि सरकारी कानून के खिलाफ यह काम हो रहा है तो पुलिस ने कहा कि यह तो कानूनी कार्यवाही कर रही है। तो महाराष्ट्र में जहां 1934 में यह कानून बना वहां की पुलिस को पता नहीं था कि ऐसा भी कानून है जिसके अनुसार इस तरह की शादी नहीं हो सकती। उल्टे जो लड़कियों को बचाने का काम कर रहे थे उनको पकड़ने की कोशिश हो रही थी। आगे जा कर मजिस्ट्रेट ने बताया कि यहां ऐसा कानून है। तो बम्बई में जहां सोशल रिफोर्म्स मूवमेंट बहुत सालों से चल रहा है वहां यह बात है।

आगरा में गीता नाम की लड़की को छुटकारा दिलाने के लिये छात्र संघर्ष वाहिनी के लड़कों ने उसको बचाया। मधु को जब पुलिस ने पीटा तो बार बार यह कहते थे कि हम आपको गीता बनाने वाले हैं। मैं पुलिस पर इल्जाम नहीं लगाती क्योंकि वह भी समाज का ही हिस्सा है, लड़कियों को बेचना गलत काम है उसमें उनको सहयोग करना चाहिये। इस प्रकार की शिक्षा उन्हें नहीं है जिसके कारण यह गलत काम रोकने के लिये वह आगे नहीं आते। इसीलिये पुलिस, जहां हजारों के तादाद में लड़कियों को बेचा जाता है वहां हाजिर रहते हुये भी अनभिज्ञ रहती है और केवल बन्दोबस्त करना ही अपना काम समझती है और इस प्रकार के गैर-कानूनी काम को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाती।

स्टेटस आफ वीमेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 1965 में बम्बई की फोरास रोड की जांच की जहां काफी संख्या में वेश्यायें हैं, यह बम्बई का बहुत बड़ा इलाका है, उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत वेश्यायें देवदासी हैं आज उनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी।

1976 में गढ़हिंगलज में उनकी पहली कानफरेंस हुई जहां पर उन्होंने कहा कि हम इस काम को छोड़ना चाहती हैं, हम घर बसाना चाहती हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती हैं। लेकिन स्कूल में भेजती हैं तो बाप का नाम पूछते हैं। और बाप का नाम नहीं है इसलिये पढ़ना मुश्किल होता है। श्रीमती ऊषा चौधरी ने जो सुझाव दिया है मैं उसके पक्ष में हूं कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको अपनी मां का नाम लिखाने की इजाजत मिलनी चाहिये। सिर्फ इन्हीं के बच्चों के लिये नहीं, बल्कि सरकार की ओर से कानून होना चाहिये कि कोई भी बच्चा अगर मां के नाम से अपना नाम लिखाना चाहता है तो उसको यह कानूनी अधिकार होना चाहिये, जो आदमी शराब पीने वाला है, और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी जगह जाता है उसके बच्चों को अपनी मां के नाम से स्कूल में जाने का कानूनी अधिकार होना चाहिये। और अगर देवदासी के बच्चों को इस प्रकार का अधिकार दें

तो दुनिया जानेगी कि यह देवदासी के बच्चे हैं । इसलिये सरकार इस प्रकार का कानून लाये इस देश में कोई भी बच्चा पिता के नाम से ही अपना नाम न पाये, बल्कि अपनी मां के नाम से भी नाम रखने और लिखाने का उसे कानूनी अधिकार हो । इस प्रकार का कानून लाने की आवश्यकता है ।

झुलुआ में लड़कों का भी बेचा जाता है । लेकिन लड़का गाय दे कर छुटकारा पा सकता है । लेकिन लड़की को छुटकारा नहीं । एक बार यदि यलम्मा की बन गई तो जिन्दगी भर उसे देवदासी रहना पड़ता है और अनेक पुरुषों की वह देवदासी बन जाती है । इसलिये कम से कम अगर इन बहनों को बचा नहीं सकते तो उनके बच्चों को तो बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिये । यह भी कोशिश बम्बई में हुई है फोरास रोड में, सारे सदन को यह बात मालूम होनी चाहिये यह मैं चाहती हूं, वहां के 30 बच्चों को राष्ट्र सेवा दल के बच्चों ने उनकी मां के पास से लेकर उनको बाबा आप्टे के गुरुकुल में भेज दिया । बीच में पुलिस ने और उनके दलालों ने इतना तंग किया कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिये गये थे, उनको फिर वापिस भेज दिया गया क्योंकि उसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां थीं । दलालों को लगा कि अगर इस तरह से लड़कियां पढ़ेंगी और आम लोगों की तरह जिन्दगी बिताने की कोशिश करेंगी तो हमारा धन्धा कैसे चलेगा । आज वह 30 के 30 बच्चे वापस फोरास रोड पर चले गये ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप इस बारे में जांच कीजिये कि कौनसे बच्चे थे जिनको गुरुकुल में भेजा गया था और कौन से बच्चे वहां से वापिस गये ? इसके लिये कौन जिम्मेवार है । पुलिस ने उनकी मदद की है या नहीं इस बारे में जांच की जानी चाहिये ।

देवदासियों की कान्फ्रेंस में जो बात हुई है वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं क्योंकि भाषण करने से कुछ नहीं होगा । उनकी कान्फरेंस में जो रैज्यूलूशन पास हुआ है वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं और अपना भाषण खत्म करना चाहती हूं । मेरी प्रार्थना है कि आज जो सुझाव यहां पर आये हैं सिर्फ इस पर बहस करके ही हम न रहें सरकार की ओर से एक कमेटी नियुक्त की जाये और प्रास्टीच्यूशन का जो प्राबलम है, उसके बारे में गहराई से सोचा जाये ।

आज दिल्ली शहर में बड़े-बड़े होटलों में क्या हो रहा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान नहीं खींच रही हूं । कैबरे डांस और काल गर्ल की ओर आपका ध्यान नहीं खींच रही हूं । आज अच्छी अच्छी लोकेलिटीज में प्रास्टीच्यूशन हो रहा है, यह मैं यहां नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन देवदासियों की कान्फरेंस में जो मांग हुई है, जो उन्होंने पास किया है उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

उनकी मांग है कि--

(1) देवदासी बंदी कानून पर कड़ाई से अमल हो तथा जो देवदासियां बन गई हैं, उनको सरकारी मदद और नौकरियों में आरक्षण मिले ।

(2) इस इलाके के लोगों के अज्ञान और गरीबी का फायदा उठाने

वाले वेश्याओं के दलालों के खिलाफ कार्यवाही की जाये ;

(3) देवदासियों को सरकारी नौकरी में लिया जाये ;

(4) वृद्ध देवदासियों को पेंशन मिले ;

(5) पिछड़े और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं देवदासियों के बच्चों को भी मिलें ;

(6) देवदासियों के लड़कों को अपने पिता की सम्पत्ति पर अधिकार हो ।

जो हमारे पहले वक्ता ने कहा कि बहुत आवश्यकता है मैत्री-करार की । यह मंत्री करार गुजरात राज्य में अहमदाबाद में हो गया, वह भी वहां की सरकार ने रद्द कर दिया । मैत्री-करार जानबूझकर समझकर बहिनें करती हैं लेकिन देवदासियों के बच्चों और उनके जीवन के लिये हमें सच्चे रूप में कुछ करना चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the devdasi system exists only, all these demands arise. Why cannot you ask for the abolition of the system itself? Why should there be Devdasis at all in a civilised country? Ask for the abolition of the system.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं कहती हूं कि देवदासियों को हम मुक्त नहीं कर सकते । जब तक कि पुरुष की लालसा है देवदासियां रहेंगी । क्या आप कहते हैं ? अगर मैं कहूं कि पुरुष की वासना की वजह से हमारे समाज में प्रास्टीट्यूशन चल रहा है एक नहीं दूसरे नाम से तो यह गलत नहीं होगा ।

मैं मानती हूं कि डाउरी प्राहीबीशन एक्ट न होकर डाउरी एबालीशन एक्ट होना चाहिये । उसी तरह से देवदासी एबालीशन एक्ट बनाया जाना चाहिये लेकिन उसके पहले जो देवदासी बनी हैं, उनके लिये हम क्या करें ? उनके बच्चों के लिये क्या करें ? किस तरह से देवदासी प्रथा को पूरी तरह से खत्म किया जाये ? इसलिये मैंने उनकी मांगें आपके सामने रखी हैं, इन पर आप विचार करें और आप कुछ कदम उठायें । सोशल वैलफेयर मिनिस्टर यहां बैठे हैं, लेकिन वे अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं । फिर भी वह कौनसी सुविधाएं दे सकते हैं, इस पर अवश्य विचार करें । इस प्रथा को समाप्त करने के लिये हम सब को मिलकर प्रयास करना चाहिये, एसी मेरी प्रार्थना है ।

SHRI A. T. PATIL (Kolaba): I thank you very much for giving me this opportunity to express my views on this Bill moved by Shrimati Usha Prakash Choudhari. I congratulate the Mover of the Bill for focussing the attention of the House on a very important issue. But she has drawn the attention of the House only to a part of the wider issue, which, really speaking, is a blot in our society. I say, 'part of the issue' for this reason that this Bill refers only to 'Devdasi' system.

Sir, I have introduced in this House a Bill called. The 'Protection of the dignity of Womanhood Bill'. I am not only concerned with the status and dignity of those who are undertaking or who are forced to undertake this system of Devdasi, but

I am also concerned with the entire dignity of womanhood. That dignity has been attacked in several directions, not only in the direction of the Devdasi system, not only in the direction of prostitution, but, as the hon Member who spoke before me said, it is also attacked under the so-called legalised concept of 'Contract of Companionship', the so-called concept of 'Concubinage' or 'Kept-mistress' and lot of other things. These are really speaking the issues regarding the dignity of womanhood in the country.

Our society takes pride in saying that it is our culture to worship womenhood and to respect the dignity of women. But in practice we really give a go-by to this pride by the practice of Devdasi and other systems. This is an indignity to the nation itself, to the human society the world over.

You cannot escape the issue by saying that prostitution is a natural corollary of monogamy. If you are a human being, if you want yourself to be a dignified human being, if you want ourself to be a civilised human being, you have to control your animal passions, you have to control your animal activities, and the degree of your civilisation depends upon your conduct. Otherwise, you cannot claim yourself different from any other animal. It is only when you control your animal conduct and animal instincts that you become a real human being. Therefore, it is no use saying that prestitution is a natural corollary of monogamy. Do you think that human society will be advanced by giving up monogamy? Our answer to this is, you cannot do it. Therefore, you cannot escape from the issue by saying that prostitution is a natural corollary to monogamy. That is a real evil; it is necessary to end it; it is necessary to prohibit it.

Therefore, from that point of view, I say that this Bill covers a part of the whole issue. Therefore, I earnestly support this Bill in principle.

Certain doubts have been expressed; certain explanations are given. I am not controverting anybody's statement; I am only trying to analyse the situation; I am trying to understand them.

A proposition has been placed before the House that this is an economic evil. Yes. It is partly true. It is a social evil Yes. It is also partly true. It is a moral evil. Yes. It is also partly true. Moral concepts are created by society which has created a religion. And when it is said that it is a religious issue, it is also only partly true and religion is equally responsible along with other causes. So, the evil has to be tackled in all these directions, not only in one direction but in all directions. The law has to play its part, but it has its own limitations. It has got the jurisdiction beyond which it cannot go. Everybody is supposed to know this. But many do not know that law has got its own limitations. The hon. Member has said that there should be a massive movement, social movement, social movement in this direction to fight or eradicate this 'Devadasi' system and all sorts of indignities that women are to put up on this account. For instance, 'Dowry' another evil which is also a sort of indignity which must be tackled on social plane. I am not going into the moral and the religious aspect of it. They say that it is because of the economic conditions of these people. It is because of the economic conditions and because of the poverty that things happen like that. True, partly it is correct. But such a type of poverty has to be faced not only by the parents of the 'Devadasi', but for there also there exists poverty equally. Perhaps, here they may feel that this is one of the devices to overcome the povery. True, to that extent, it is correct. But then it is not only not correct to say so but it is a sort of escapism from facing the reality of the situation. Therefore, the first and the foremost activity in this direction must be to have a massiue social movement to eradicate these evils. It is no use saying that that was our culture.

[Shri A. T. Patil]

यज्ञ नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवता:

लेकिन अब, न रमन्ते तत्र देवता:,
यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते

It means where women are worshipped, Gods and Goddesses dwell there. But if the women we not worshipped, how can you claim that Gods and Goddess dwell there? So, there should be a massive social movement towards eradication of this evil. But the law can equally play its part. It is no use saying that the law will not play its part, it cannot be implemented. But if you make a proper law, it can play its part fully.

Sir, my submission is that the law is to be judged from the provisions of the law which make it effective. Now, in the case of such a law if, you want to make it more effective, there should be more penal provisions. For instance, in the case of Suppression of Immoral Traffic in Women, and girls Act, 1936, sections 3 to 9 dealt with the penal provisions. Persons concerned will be punished with imprisonment to the extent of 2 years or 3 years or 4 years or something like that. That is the usual provision which we have to change. We have to go a step ahead.

I say that casual relationship between a man and a woman may not be possible to be detected. But where there is a constant relationship, it can be detected and controlled. There is no difficulty in detecting the constant relationship. But casual relationship cannot be detected. My view on this may not totally be acceptable, but for your consideration, I would like to submit my suggestions. My first suggestions is to convert the relationship between a man and a woman in to a legalised relationship of lawful couple as husband and wife. Although they may not have performed the lawful rights for entering into a marriage ceremony, still we should, by law, confer upon that woman the status of wife and vest in her and the children born cut of that relationship all rights in all the properties of the parents and also inheritance.

SHRIMATI PROMILA DANDAVATE: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the time allotted for this Bill is up. I request that you may kindly consider extension of the time by one hour more so that this Bill can be discussed thoroughly.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): There is perhaps no need to extend the time.

MR. DEPUTY SPEAKER: Two hours were originally allotted for this Bill and the time is almost over now. There are still 4-5 Members who want to participate. It is left to you, whether the time for this Bill should be extended or not.

SEVERAL HON. MEMBERS: May be extended by one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the sense of the House that the time should be extended by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time for this Bill stands extended by one hour. All the hon. Members would complete their speeches by 6.00 p.m. today. The Minister and the mover can speak next time.

Shri Patil may continue his speech.

SHRI A. T. PATIL (Kolaba): Sir, apart from the penalties for any person, who offers, who accepts, who directly or indirectly helps, encourages or forces, or who maintains a brothel or carries on prostitution in the name of Devdasi etc. provided in this Bill, one of the actions that can be taken is to legalise the relations as lawful wife and husband, resulting in all the rights to children born out of the relationship.

Hon. Member, Shri Satyanarayan Rao, said that there where kings who used to keep or purchase such girls out of some superstition.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: They did it as a matter of prestige.

SHRI A. T. PATIL: That is most heinous; if one wants to purchase women for the sake of prestige, he is the worst criminal. The society must attach a criminality to that by law; it should not merely by a social stigma. The law must attach criminality to such a person. This concept of prestige is criminal. But if it is legalised, then those children born out of them would get the proper share as lawful children in the property of those who purchased the girls.

My second submission is this. If it is possible, there should be some action in the law, a legal action, to withdraw the civil, and political rights inclusive of the constitutional rights of the persons concerned, for example the fundamental rights. And if any encroachment is done on the fundamental rights of the person concerned, he should not have an authority to go to the court of law under Articles 226, 227 or 32 etc. before the court. His fundamental rights should be withdrawn, political rights should be withdrawn, his civil rights should also be withdrawn. He should feel that he is lonely. One who commits that particular act must feel that he is a criminal. That would be a deterrent action.

Then, I have the third suggestion which may not appeal to many, yet I would like to make that proposal. And that is, is it not possible for the society to excommunicate such persons? Society should excommunicate such persons. The law can also play its part. The law can make an exception in matters of excommunication for such persons saying that excommunication of such persons is legal or valid, and then the penalties can follow.

My submision is that there is no necessity of going into this problem through a Committee or other things. The problem is so clear, so vivid that it is not necessary to have a Committee to go round the country and see as to how things are going on, and what needs to be prohibited etc. The Government should, therefore, take up the issue immediately without referring it to any Committee, and clinch the issue, frame necessary proposals and come before the House. The whole House will support such a measure whole-heartedly; the entire society will also support it. And let me say, Sir, in case the Government does not come before the House with definite proposals, it will amount to abdiction of the duty of the Government.

An HON. MEMBER: And dereliction of duty.

SHRI A. T. PATIL: Not only dereliction of duty. I say it it is abdication of its duty because it is an inborn duty of the Government to protect the society. Therefore, in order to fulfil this duty, it is necessary that the Government should come forward with definite proposals. It is no use saying that we very well agree with it, but we have to think over. No Government must definitely assure the House that it will come with definite proposals not only with respect to this evil alone, but with respect to the entire issue.

With these words I again thank Mrs. Usha Prakash Choudhari for focussing the attention of the people both inside and outside the House on this issue.

श्री वी० डी० सिंह : (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय इस देवदासी जैसी कुप्रथा के निवारण के सम्बन्ध में 1981–82 के बजट सत्र में 19 मार्च को मैं ने नियम 377 के तहत इस प्रश्न को उठाया था और मैंने सरकार से प्रार्थना की थी कि सरकार को प्रभावकारी तरीके से इस कुप्रथा को मिटाने के लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिये लेकिन मुझे खेद है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ । मैं माननीय सदस्या श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी को बधाई दूंगा कि इस प्रथा के एबोलीशन के लिए वह यह बिल लाई हैं ।

[श्री बी० डी० सिंह]

इसके तह में अगर हम जाएं, तो जैसा कई पूर्व-वक्ताओं ने बताया है इस का मुख्य आधार रूढ़िवादिता और अंधविश्वास हैं, जो हमारे देश में धर्म के नाम पर चले आ रहे हैं । ये इस के पीछे मुख्य कारण हैं और हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे अन्दर ऐसी प्रवृत्ति है कि हम ऐसे धर्म की भर्त्सना करने में हिचकते हैं, जिस की छाया में इस प्रकार के गन्दे काम चला करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि झूठ धर्म के नाम पर गरीब और मेहनतकश लोगों का शोषण हुआ है । पहले भी हुआ है और अब भी होता चला आ रहा है। तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार को ऐसा कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिस से ऐसी जो भावनाएं हैं या ऐसा जो अंधविश्वास है, वह समाप्त हो । कुछ हम ऐसा महसूस करते हैं और हमारा ध्यान इस जन्म को सुखी बनाने का नहीं होता है बल्कि हम इस से ज्यादा अगले जन्म की बात सोचते हैं । हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे और जितने दुःख दर्द हैं, वे सब हम इस जन्म में उठाएंगे लेकिन अगले जन्म की हम चिन्ता करेंगे कि उस जन्म में हम किस तरह से अच्छी तरह से रहें । सारी बुराई की जड़ यहां पर होती है लेकिन इस जड़ पर प्रहार करने में लोग कतराते हैं । आप आकाशवाणी को ही लीजिए । उसमें रोजाना सुबह तुलसीदास जी की चोपाईयां पढ़ी जाती हैं जिन्होंने महिलाओं की निन्दा की है लेकिन कबीर या सुब्राहमण्यम भारती के विचारों को प्रसारित नहीं किया जाता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सभी से कहना चाहता हूं चाहे वे सरकारी पक्ष के लोग हों, चाहे समाजवादी लोग हों कि इसकी अपनी कमजोरियां हैं । इसको हमें हटाना है । जब हम इसे सही मायनों में हटायेंगे तभी यह बुराई दूर होगी । वरना हम बातें करते रहेंगे और बुराई दूर नहीं हो सकेगी ।

इसके बारे में कानून बनने चले आये हैं । पीछे भी कानून बने हैं । इसको हटाने के लिए पिछली 25 नवम्बर को कर्नाटक की विधान सभा में एक कानून पास किया गया और उससे आशा बंधी थी कि यह बुराई बहुत हद तक दूर होगी । लेकिन नवम्बर के बाद दिसम्बर में वहां की एलम्मा पहाड़ी पर जो देवी है, उसके लिए एक मेला होता है । हजारों की संख्या में लड़कियां उस देवी को समर्पित कर दी जाती हैं, देवदासी बना दी जाती हैं । जिस कानून से यह आशा बंधी थी कि उसके पास होने के बाद यह प्रथा कम होगी लेकिन उसके अगले महीने दिसम्बर मास में ही हजारों की संख्या में लड़कियां देवदासियां बनायी गयीं । छोटी-छोटी, पांच, छः, सात साल की लड़कियां को देवदासी बनाया जाता है ।

मेरा कहना यह है कि इस कानून में ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाए कि जिस मन्दिर में इस प्रकार का गैरकानूनी और अनैतिक धंधा होता है, उसे डिमालिश कर दिया जाना चाहिए । यह क्यों नहीं होता है? मैं तो यह भी कहूंगा कि वहाँ के पुजारी को गिरफ्तार कर के, अरेस्ट कर के जेल भेज दिया जाना चाहिए ।

इन मन्दिर में कुछ तो देवदासियां पूश्तैनी चली आ रही हैं । उन पुश्तैनी देवदासियों के सम्बन्ध में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनके पुनर्वास, रोजी-रोटी, जीविका चलाने के लिए कुछ

प्रभावकारी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि यह सारी समस्या रोजी-रोटी की समस्या से जुड़ी हुई है। अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो पुस्तैनी तरीके से जो देवदासियां चली आ रही हैं, वे चलती रहेंगी। खाली बात करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। आप को उनके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कितनी हास्यास्पद बात है कि कोई पुजारी जब किसी सुन्दर लड़की को देखता है तो वह उस के मां-बाप से कहता है कि लम्मा देवी से इसकी शादी होगी। खुद पुजारी पैसे वालों से सौदा करते हैं कि किसी लड़की को देवदासी बना कर हम आपको दे देंगे। इस तरह कई प्रकार से लड़कियों का शोषण हो रहा है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रदेश इसमें शामिल हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, गोवा और मध्य प्रदेश केन्द्रीय सरकार को इन प्रदेश सरकारों से तत्काल बात कर के, स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर इस कुप्रथा का उन्मूलन करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस मन्दिर में भी ऐसी अनैतिक काम हो, या उस मन्दिर के संरक्षण में हो रहा हो तो उस मन्दिर के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन सरकार मन्दिरों के विरुद्ध कार्यवाही करने में खतरा समझती है। थे चाहूंगा, हमारी प्रमिला जी और ऊषा प्रकाश जी चौधरी इस समय यहां नहीं हैं, कि वे पूर्णमासी के दिन जिस दिन कि हजारों की संख्या में लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ वहां जाएं और मन्दिरों का घिराव करें और उन लड़कियों को छुड़ाएं। इसी तरह से इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार: (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज मैं अपनी बहन श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी को मुबारकबाद देती हूं, जिन्होंने यह बिल

"To abolish the practice of Devdasi and Murli in India"

आज इस हाउस में प्रस्तुत किया है। जब पार्लियामेंट में कोई चीज आती है तो वह सारे देश में फैलती है। आप सबको पता ही है कि यह सदियों से चली आ रही प्रथा है। फ्यूडल सिस्टम के वक्त से अभी तक चली आ रही है। ज्यादातर दक्षिण में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बार्डर में यह प्रथा प्रचलित है। यहां पर जो मेरे भाई कर्नाटक और महाराष्ट्र से बोले हैं और बहनें बोली हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक यह प्रेक्टिस बड़े जोर-शोर से चल रही है। अब देखने वाली चीज यह है कि किस बिना पर यह शुरू की गई। मैं पढ़ कर आपको सुनाती हूं—

"This evil of offering one girl from each family to the god is based on the superstition that the family would always be enjoying the grace of that god or goddess.'

पहले तो सुपरस्टीशन का नाम लिया गया और यह कहा कि फैमली प्रास्पर होगी अगर एक लड़की को देवदासी बना दिया गया। अब मेल डामीनेटेड सोसायटी में क्या खाली लड़कियां ही रह गई हैं कुरबानी के लिये। अभी हमारे भाई ने बताया कि कई दफा किसी को सपना आता है कि लड़की को देवदासी बना दो तो तुम्हारे परिवार का बहुत भला होगा।

[श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार]

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूं, वह यह है —

"It is binding on the girl offered to the god not to marry...."

Above it, it says as follows:

"Devdasi and Murli practice is in vague in our country for centuries. It is a great social evil. Under this practice the parents dedicate their adolescent and young girls to temples, who are later on driven to prostitution".

अब यह सबसे खतरनाक बात हुई। अगर वह शादी नहीं करेगी तो उसका नतीजा क्या होगा ? देवदासी बनने के बाद भी वह शादी नहीं कर सकती। जब शादी नहीं कर सकती तो इसमें जैसा कि आपने पढ़ा है — उससे फिर प्रास्टीट्यूशन की ओर जाती है। यह देखने वाली चीज है। उनके बच्चों का क्या हाल होगा। हम बड़ी ऊंची आवाजों में कहते हैं कि आज के बच्चे देश का भविष्य हैं। क्या हम इन देवदासियों के बच्चों को उन बच्चों में शामिल नहीं करते। अगर हम उनको शामिल करते हैं तो क्या वजह है कि पैदा होते ही उनके ऊपर दाग लग जाता है। बाप का नाम स्कूल में बताना पड़ता है। ये सब चीजों देखने वाली हैं।

आगे इन्होंने बताया कि इतनी जायदाद दी जाए, ये-ये काम इनके लिए किये जाने चाहिएं। यह ठीक है, मेरी बहन ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि यह सब तब तक ठीक नहीं होगा जब तक सरकार इसमें आगे नहीं आयेगी। जब तक सरकार नियम नहीं बनाएगी। अभी जिक्र आया—

"The suppression of immoral traffic on women."

मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो आपने 1956 में एक्ट बनाया था, इसमें इतनी खामियां हैं कि पूरा जोर लगाने पर भी सोशल वर्कर्स को इसका कोई फायदा नहीं होता।

मैं खुद सोशल वर्कर रही हूं और अब भी हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं। ये कहते हैं कि ये लोग गवाही दें जिसके सामने यह हुआ। आप मुझे बताइए कि कौन शरीफ आदमी गवाही देने जायेगा उन बदमाशों के सामने, वे उनके पीछे पड़ जायेंगे। पुलिस और सरकार एक तरफ रह गई तो सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट जो है, इसमें भी बहुत से अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। अभी मेरे एक भाई ने कहा था कि वूमन-हुड के ऊपर सिर्फ देवदासी या प्रास्टीट्यशन की बजाय सारा उसका हिसाब रखना चाहिये। मैं कहती हूं कि सोशल वैलफेयर मिनिस्टर साहब को कि उनका हर आसपेक्ट लेना चाहिये ताकि हर पहलू से देखकर उसमें सुधार लाया जाये। अब फिर यह सवाल पैदा होता है कि ये चीजें होती क्यों हैं। सुपरस्टीशन की बात कह दें तो वह सीधी जहालत की बात है। बैकवर्ड लोग जो सुपरस्टीशन में बिलिव करते हैं उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। दूसरी सबसे जरूरी बात जो है वह इकानामिक आसपेक्ट है। यह क्या बात है कि अच्छे घरों की लड़कियों की यहां वार्ता नहीं होती लेकिन जो गरीब हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनकी हालत खराब है उन्हीं के ऊपर यह चीजें आती हैं।

हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जो 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम बनाये हैं उसके अन्दर जो बातें हों जैसे छोटे बच्चों

और गरीब लोगों के लिये जो करना है, उनको इम्पलीमेंट करने में तेजी करनी चाहिए और एक्ट भी ऐसा हो जो इम्पलीमेंट हो सके नहीं तो खाली किताबों में एक्ट बनाकर रखने का कोई अर्थ नहीं है ।

इसमें एक और लाईन है, यह जो बिल इन्होंने दिया है इसमें लिखा है —

"The evil is rampant in the border areas of Maharashtra and Karnataka. This practice is the result of illiteracy, superstitution and poverty of the people".

इसमें सारी बात आ जाती है क्योंकि 'पावर्टी इज दी रूट काज' । अभी मेरी बहन श्रीमती दण्डवते ने कहा था कि बम्बई में एक कान्फ्रेंस सोशल हैल्थ इन इण्डिया के बारे में हुई थी । कान्फ्रेंस के बाद मैं खुद भी वहां गई और देखा कि बम्बई में वह सीधी सड़क है, केजेज (cages) बने हुए हैं उनमें सलाखें लगी हुई हैं और उनके पीछे लड़किया खड़ी रहती हैं । उनकी हालत देखकर इन्सान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । महाराष्ट्र गर्वनमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी यहीं है । उस सड़क के ऊपर कितने हजारों केजेज हैं जहां लड़कियां खड़ी रहती हैं । उस सड़क का जो नाम उन्होंने लिया था वह मुझे याद नहीं है । उनकी इतनी बुरी हालत है कि मैं क्या बताऊं ? वहां पर गांव की और हिल्ली एरियाज की लड़कियों को बेच देते हैं । यह सब कुछ वहां होता है । जहां पर औरतें पढ़ी-लिखी नहीं है और जहां उनके मां-बाप उनसे यह काम कराते हैं । मिनिस्टर साहब को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है वे खुद समझते हैं इसलिये इसके बारे में अवश्य कुछ करना चाहिये । यह न हो कि खाली स्पीच देकर हमें खुश किया जाय और बाद में कुछ न हो ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : घेराव कर दो ।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर : : में घेराव में बिलीव नहीं करती । पता नहीं किस-किस का घेराव करना पड़ेगा । एक कमेटी फूल रेणु गुहा की चेयरमैनशिप में "स्टेट्स आफ वूमन" के ऊपर बनी थी । उसने अपनी कुछ सिफारिशें दी हैं । मिनिस्टर साहब हमें बतायें कि उसके ऊपर आज तक क्या एक्शन लिया गया है ?

यह दो, तीन बातें जो मैंने कही हैं उसके बारे में बताया । बाकी समाज को सुधारने के लिये बहुत ज्यादा जरूरत है । वह खाली सरकार ही नहीं सुधार सकती । आज पार्लियामेंट के मैम्बर, लेजिस्लेटर्स और तमाम सोशल वर्कर्स मिल कर अपने अपने मोहल्लों में काम करें, अखबारों में इन ईविल्स के बारे में बतायें ताकि फ्यूडल सिस्टम के बदलाव के बाद जो सोशल चेंजेज आ रहे हैं वह लोगों को मालूम हों । आज औरतें, जिनको पहले अबला कहते थे, वह आगे बढ़ रही हैं, मिनिस्टर, पार्लियामेंट की मैम्बर, जज्जेज और डाक्टर्स यानी हर फील्ड में आ रही हैं जिनको देख कर हमें खुशी होती है। अगर औरतों का स्टेट्स बढ़ता है तो सोसाइटी का भी स्टेटस बढ़ता है । यह एक आम मिसाल है कि अगर एक औरत पढ़ी हो घर में, तो सारा खानदान पढ़ा होता है । ऐसा ही गुरु नानक देव ने लिखा है क्योंकि उस वक्त की औरत

[श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार]

को बुरा भला कहा जाता था । वह कहते थे कि जिससे राजा पैदा होते हैं वह औरत कैसे अबला या कमजोर हो सकती है, क्योंकि औरत ही जन्म देती है । देश में और दुनियां में इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं उनको औरत ने ही जन्म दिया है । इसलिये औरत की इज्जत होनी चाहिये और ऐसे कानून लाने चाहियें जिससे उनकी हैल्प हो सके ।

इतना कह कर मैं शुक्रिया अदा करती हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया । वैसे तो मेरा इरादा नहीं था लेकिन ऊषा जी ने जो बातें कहीं इसको पेश करते हुए उनको सुनने के बाद मैं बोले बगैर नहीं रह सकी ।

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती ऊषा चौधरी ने जो विधेयक सामने रखा है वह अत्यन्त उपयोगी, सामयिक और समाज कल्याणकारी है । वस्तुत: हमारे समाज में स्त्रियों का स्थान नगण्य है । जो महत्व इनका होना चाहिये, प्राचीन काल में जिस प्रकार नारियां हमारे देश में मर्यादित थीं, उनकी मर्यादा आज समाप्त प्राय है । यह देव-दासी और मुरली प्रथा उन्मूलन का नाम सुनते थे, जानते थे । लेकिन हमारे बिहार में ऐसी प्रथा नहीं है । इसलिये इसकी गम्भीरता समझने का अवसर नहीं मिला था । लेकिन जैसा कहा गया यह तो अत्यन्त ही अमानवीय काम है । यह भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति के लिये अत्यन्त ही अमर्यादित काम है । नारियां, जिनकी हम पूजा करते हैं समाज और परिवार में जिनका महत्व है, उनका ऐसा रूप हो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती । सीता, राम, पारवती और शंकर आज के युग में महात्मा गांधी और कस्तूरबा इन दोनों का जीवन धन्य है, हमारे लिये अनुकरणीय है । इसलिये भी नारी का जीवन भी उतना ही मर्यादित और गौरवपूर्ण पाते हैं जब यह हमारे लिये आदर्श स्वरूप बना था । इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह कलंक जो हमारे समाज पर लगा है इसका अविलम्ब अन्त होना चाहिये । वस्तुत: सरकार और मंत्री महोदय जो यहां विराजमान हैं मैं उनसे कहूंगा इस सामाजिक कुरीति का काफी गम्भीरता के साथ अध्ययन करना चाहिये और कैसे समाज का छुटकारा इससे हो सके इसके लिये सरकार इस सदन में एक विस्तृत विधेयक लाये ताकि समाज इससे छुटकारा पाये ।

श्रीमती कृष्णा साही ने एक स्थान पर अपने विचार व्यक्त किये जब उन्होंने कहा कि विधवा को मछली, मांस खाने को वर्जित किया जाता है । हमारे समाज में उन्हें रंगीन साड़ी पहनने के लिये छूट नहीं दी जाती है । जबरन उनके बाल काट दिये जाते हैं । जहां पर जोर-जुल्म होता है, जबरदस्ती की जाती है, वह घृणित कार्य है । लेकिन युग-युग से चली आ रही हमारी मर्यादा है, हमारी सामाजिक रीति है, सामाजिक नीति है । जब भारतीय महिला विधवा हो जाती है तो उसका जीवन वस्तुत: बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है । हमारे देश में पतिव्रता नारियां हुई हैं । हमारे देश में आदर्श चरित्रवान पुरुष हुए हैं, वह हमारे लिये अनुकरणीय हैं, स्तुत्य हैं ।

18 hrs.

जब पति का निधन हो जाता है तो नारी का जीवन कष्टमय होता है

श्रीमती कृष्णा शाही स्वयं हमारे जिले से आती हैं, उनके पति श्री वी०पी० शाही, आई पी०एस० पुलिस आफिसर थे। उनका निधन 10 वर्ष पूर्व हो गया। मैं नहीं समझता कि यह कहना कहां तक उचित है कि मछली मांस खाने से, आहार-विहार से हमारा विचार बनता है। अगर उस पर ऐसा मर्यादित नियंत्रण है, समाज का या व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं हो सकता।

क्या हम विधवा होने के बाद संभोग करने की वृत्ति रखना चाहते हैं? तो ऐसी हालत में मछली मांस खाने का उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। अगर हम 15 बरस के बच्चे या बालक है हमारी मा विधवा हो जाती है तो हम ऐसा नहीं देखना चाहते कि वह पुनर्विवाह करे। अगर उसकी इच्छा है तो वह करे उसको आजादी है स्वतन्त्रता है लेकिन पुत्र को इसके लिये लिये कलंकित होना पड़ता है। जब किसी की मां विधवा हो जाये और यह संभोग की वृत्ति से पुनर्विवाह करती है उसे स्वतंत्रता है वह करे लेकिन हम अपनी मां बहिन को वैसा देखना नहीं चाहते ऐसी अवस्था में जब पतिव्रता नारियों की साकार स्थिति हमारे देश में है ऐसी नारियां है जिन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया है, उनके मांस मछली खाने से उनके विचार में उत्तेजना आयेगी और सम्भोग की ओर प्रवृत्ति बढेगी, भारत में जो मूल आदर्श है, जो जीवन-दर्शन है, वह समाप्त हो जायेगा। यहां मैं मौलिक मतभेद रखता हूं जहां पर जिस नारी की खाने की तबियत हो, पहनने की इच्छा हो, वह स्वछंद घूमें, उन पर कोई प्रतिबन्ध न हो, लेकिन यह कहना कि पुरुष भी ऐसा हो जाये तो यह समानता की बात होती है, समता की बात होती है, लेकिन अगर पुरुष भी अपने जीवन को नियंत्रित या मर्यादित करे तो वह हमारे समाज में पूजित होता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think you can continue next date. You will be the first speaker next time.

13.00 hrs.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Sir, may I request you to extend the time of the sitting by one more hour so that we can continue with the discussion on the President's Address? I have already submitted a list and you can call members, statring with Shrimati Vidya Chennupati.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a request from the Minister of Parliamentary Affairs to extend the time by one hour as some more members want to speak on the President' Address? Is there any objection?

SOME HON MEMBERS: No.

MR. DEPUUTY-SPEAKER: All right. The time is extended by one hour.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI:

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Are we not adjourning the House?

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have extended the time by one hour; If Prof. Ranga wants to speak he can remain.

PROF. N. G. RANGA: Not today.

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : (विजयवाडा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि मुझे बोलने के लिये हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर श्री बूटासिंह जी ने अवकाश दिया है।

प्रैजीडेंट एड्रेस् का मैं समर्थन करती हूं।